15 लाख की लीगल नोटिस

आलोक श्रीवास्तव

15 लाख की लीगल नोटिस

आलोक श्रीवास्तव

प्रस्तावना

मेरे जीवन में घटित हुयी इन घटनाओं, जिन्हें निजी याददाश्त के लिए मैंने दर्ज कर रखा था, को मैं कभी शायद आपके सामने न रखता और ये सारी बातें समय के गुमनाम अंधेरों में कहीं खो जातीं लेकिन अब हालात ऐसे हो गये हैं कि यदि मैं इन्हें आपके सामने नहीं रखता हूँ तो शायद इन्हें बताने के लिए मैं जीवित न रहूँ। जीवन पर आये इस खतरे को देखते हुए मुझे लगता है कल को यदि मैं और मेरे परिवारजन जीवित नहीं बचते हैं तो उस स्थिति में भी आप उस सच्चाई को देख और समझ सकें जिसे आपसे छिपाने की कोशिश की जा रही है।

आलोक श्रीवास्तव

16 जनवरी, 2019

15 लाख की लीगल नोटिस

यदि कभी आपने इतिहास को दिलचस्पी के साथ पढ़ा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि लिखे जाने वाले हर इतिहास में किसी राजा या बादशाह, नेता आदि का और उनकी उपलब्धियों का ही जिक्र देखने और पढ़ने को मिलता है न कि उनके काले कारनामों और ऐसे कृत्यों का जिनसे देश या समाज को अपूर्णनीय क्षति होती है। जबकि शासकों और नेताओं के काले कारनामों अथवा गलत कामों का इतिहास में ब्यौरेवार वर्णन किया जाना चाहिए ताकि यदि उनके उस किये गये गलत काम का दीर्घकाल में कोई हानिकारक परिणाम हो तो आने वाली पीढ़ी को यह तो पता रहे कि वह जिस हानिकर परिणाम को भुगत रही है उसके पीछे वास्तव में कौन शासक या नेता जिम्मेदार था और यह कि क्या तत्कालीन बाकी नेताओं ने अपनी तरफ से उस गलत काम को घटित होने से रोकने की वास्तविक कोशिश भी की थी या फिर अपनी मौन सहमति देकर वे भी उस शासक या नेता के गलत काम के भागीदार थे और झूठ-मूठ ही यह दिखाने का दावा कर रहे थे कि उनकी सोच उस गलत काम करने वाले नेता से भिन्न थी।

काले कारनामों के इतिहास में दर्ज किये जाने का भय यदि शासक या नेता में होगा तो इस भय के कारण वह कोई भी ऐसा ऊँटपटांग काम नहीं करेगा जिससे देश और समाज को हानि पहुंचे और देश की जनता को वह अनावश्यक कष्ट उठाना पड़े जो उस पर उसके शासक अथवा नेता की वजह से थोपा गया है।

इतिहास में इन सारी बातों को यथातथ्य इसलिए भी लिखा जाना चाहिए ताकि यदि वैसी परिस्थितियां, जो अतीत में घट चुकी हैं, दुबारा आती हैं तो उनसे निपटने के लिए हम भावी रूप से तैयार हो सकें।

खैर, अब यह व्याख्यान न देते हुए कि इतिहास को किस प्रकार से लिखा जाए मैं सीधे उन तथ्यों और घटनाओं की तरफ आता हूँ जो इतिहास बन गयी हैं। यहाँ मैं भारत के इतिहास से जुड़ी उस सच्चाई को लिख रहा हूँ जो भारत के हर आम नागरिक से जुड़ी है और यह भारतीय इतिहास के उस दौर को बताती हैं जिसमें न केवल हर आम भारतीय बुरी तरह से परेशान था और बल्कि पशु पक्षियों तक के बुरे दिन आ गये थे। यह वह दौर था जब एक जबरदस्त मानसिक और शारीरिक यन्त्रणा झेलने के लिए हम सभी आम भारतीयों को मजबूर कर दिया गया था।

मैं बात कर रहा हूँ नवम्बर 2016 की, जिसे आप भूले नहीं होंगे, यह वह महीना था जिसकी आठ तारीख यानि 8 नवम्बर 2016 की रात 8 बजे, भारत देश में नोटबंदी किये जाने की घोषणा की गयी थी। देश में की गयी इस नोटबंदी के बाद से जिन मुश्किलों का सामना मैंने किया था उनके बारे में मैं यही मानता हूँ कि उन मुश्किलों से शायद ही इस देश में रहने वाला कोई भी आम नागरिक अछूता रहा हो। बहुत संभव है कि 8 नवम्बर 2016 को देश में हुयी नोटबंदी के कटु अनुभव को आपने खुद भी सहा हो। इस नोटबंदी की घोषणा के जरिये देश में प्रचलित 500 और 1000

रूपये के बैंक नोटों का लीगल टेंडर अचानक ही खत्म कर दिया गया था। और इसे करने के पीछे यह दलील दी गयी थी कि देशहित में ऐसा करना आवश्यक था ताकि देश में छिपे काले धन को बाहर निकाला जा सके।

नोटबंदी किये जाने के बाद, पूरे देश में हड़कम्प का माहौल और अस्त-व्यस्तता साफ़ नजर आई, और सारे अख़बार और न्यूज चैनलों पर नोटबंदी ही एक मात्र चर्चा का मुद्दा थी। पर देश में की गयी यह नोटबंदी मात्र चर्चा का विषय नहीं थी बल्कि यह देश की जनता पर नरेंद्र-मोदी[1] द्वारा थोपा वह मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक कष्ट था जिसे मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने देश की बाकी आम जनता की भांति ही सहा था। ठंड के मौसम में अपने पुराने 500 और 1000 रूपये के बैंक नोट बदलने और बैंक से पैसे निकालने के लिए घंटों बैंकों की लाइन में खड़ा होना, बैंक से अपने ही पैसों को वापस अपने घर पर लाना किसी किले को फतह करने से कम ख़ुशी देने वाला अहसास नहीं था।

खैर, नोटबंदी के किये जाने से देश की गति जरूर थम गयी थी लेकिन वक्त अपनी गति से चलता रहा और सात महीने बीत गये। इस गुजरे वक्त ने नरेंद्र-मोदी द्वारा किये गये नोटबंदी के वज्रप्रहार से घायल हुए इस देश के जख्म को भरना शुरू ही किया था कि नरेंद्र मोदी और उसके साथियों ने एक बार फिर से देश को संकटपूर्ण स्थिति में डालने के लिए 16.06.2017 अख़बारों में खबर छपवा दी: “सरकार ने बैंक में नये खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। और पुराने बैंक खातों को 31 दिसम्बर 2017 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है अन्यथा सारे खातों को अविधिमान्य घोषित कर दिया जाएगा” और इसके बाद हमारे मोबाइलों

[1] नरेंद्र-मोदी—यहाँ और इस पुस्तक में अन्यत्र कहीं पर ‘नरेंद्र-मोदी’ संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से समझा जायेगा जिसने भारत के प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाते हुए 8 नवम्बर 2016 को अविधिक तरीके से भारत में नोटबंदी की।

पर बैंकों के किसी रीजनल अधिकारी की तरफ से यह संदेश आने लगे थे कि अपने बैंक खातों को आधार से जुड़वाना अनिवार्य है।

नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों अरुण-जेटली[2] और उर्जित-पटेल[3] के साथ मिलकर, अविधिक ढंग से 500 और 1000 रूपये के नोटों का लीगल टेंडर खत्म कर जनता के खुद के जमा किये पैसों को कालाधन बता कर किस प्रकार से सेंधमारी की थी और जनता को परेशान किया था, यह बात हम लोग भूले नहीं थे और इसके साथ ही हम लोगों को यह बात भी पता थी कि बैंक खातों से आधार का जुड़वाना सुरक्षित है अथवा नहीं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में विचारण अभी चल रहा था, न्यायालय में वाद के लम्बित रहने के दौरान अख़बार में आई यह खबर कि सरकार ने बैंक में नये खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। और पुराने बैंक खातों को 31 दिसम्बर 2017 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है अन्यथा सारे खातों को अविधिमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही यह भी कि बैंक के किसी रीजनल अधिकारी के जरिये लगातार मोबाइल पर यह संदेश भेजा जाना कि बैंक खातों को आधार से जुड़वाना अनिवार्य है, इस बात को साफ़ जाहिर करते थे कि नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगियों की नीयत और इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए हम लोग आधार की विश्वसनीयता को लेकर सतर्क हो गये और इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट आधार मामले पर कुछ कहे ताकि हम यह तय कर सकें कि हम अपने आधार को बैंक खातों से जुड़वाएं अथवा नहीं। हम अभी ऊहापोह की स्थिति में थे कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले

---

[2] अरुण-जेटली—यहाँ और इस पुस्तक में अन्यत्र कहीं पर 'अरुण-जेटली' संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से समझा जायेगा जिसने भारत का वित्तमंत्री होते हुए 8 नवम्बर 2016 को अविधिक तरीके से गयी नोटबंदी समर्थन किया और इसे सही बताया।

[3] उर्जित-पटेल—यहाँ और इस पुस्तक में अन्यत्र कहीं पर 'उर्जित-पटेल' संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से समझा जायेगा जिसने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का गर्वनर होते हुए भी 8 नवम्बर 2016 को अविधिक तरीके से गयी नोटबंदी के किये जाने में सहयोग किया।

पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अभी केवल पैन कार्ड को आधार से जोड़े जाने के लिए अपनी सहमति दे सकती है और यह कह सकती है कि पैन कार्ड से आधार को जुड़वाना जरूरी है। लेकिन बैंक खातों से आधार को जोड़ने के बारे में न्यायालय का अंतिम फैसला आना अभी बाकी था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मैंने अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के, पैन कार्ड को आधार से जोड़ दिया था, ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा और अनावश्यक कष्ट न सहना पड़े।

लेकिन मेरा ऐसा सोचना उस दिन गलत साबित हुआ जब 30 जून 2017 को मैं बैंक में अपने चेक के भुगतान को प्राप्त करने के लिए गया था। वहां काउन्टर पर उपलब्ध बैंक कर्मी ने चेक पर कोई संख्या लिखते हुए मुझसे पूछा, “क्या आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा है?”

मैंने जवाब दिया, “नहीं, लेकिन मेरा पैन नम्बर आधार से जुड़ा है।”

मेरा जवाब सुनकर बैंककर्मी ने कहा, “केवल पैन नम्बर जुड़वाना ही काफी नहीं है, अकाउंट के आधार से जुड़े बिना आप अपना पैसा कैश नहीं करा सकते हैं, इसलिए पहले आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से जुड़वायें उसके बाद ही आप अपना पैसा बैंक से निकाल पाएंगे अन्यथा नहीं।”

“परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल पैन को ही आधार से जोड़ने की बात कही है न कि बैंक अकाउंट को?” मैंने कहा।

“आप मुझसे बेकार बहस कर रहे हैं जब तक आप अपने आधार नम्बर को बैंक के बचत खाते से नहीं जोड़ेंगे तब तक भुगतान संभव नहीं है।” बैंक कर्मी ने कहा।

बैंककर्मी द्वारा मेरे चेक का भुगतान करने से इनकार किये जाने के कारण मुझे अपने चेक को मजबूरन कैंसिल कराना पड़ा। इसके बाद मैं बैंक मैनेजर के केबिन में गया और अपने चेक के कैंसिल होने की वजह उसे बताई तो मेरी बात सुनकर बैंक मैनेजर बोला "वह ऐसा 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया' की गाइड लाइन पर कर रहे हैं।"

जब मैंने बैंक मैनेजर से 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया' की वह गाइड लाइन दिखाने की बात की तो उन्होंने साफ़ इंकार कर दिया।

इस पर मैंने बैंक मैनेजर को एक बार फिर से यह समझाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए नहीं कहा है, कोर्ट ने केवल पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की बात कही है और मैंने अपना और अपने घर के सभी लोगों का पैन नम्बर आधार नम्बर से जोड़ दिया है।

मेरी बात सुनकर बैंक मैनेजर भड़क गया और बोला, "मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ, मुझे अपना अकाउंट नम्बर बताओ मैं अभी तुम्हारा खाता फ्रीज करता हूँ।" और साथ ही यह धमकी भी दी कि "बैंक के बाहर चलो मैं तुमसे वहीं निपटता हूँ।"

इस पर मैंने कहा "बैंक खाते और आधार को जोड़ने का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही सरकारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसम्बर तक बैंक खातों को आधार से जोड़ने की बात प्रस्तावित है।"

मेरे इतना कहने पर बैंक मैनेजर ने कहा, "हमारे पास 55,000 खाते हैं तो क्या हम सभी खातों को 31 दिसम्बर को जोड़ेंगे। यदि आज तुमने अपना खाता आधार से नहीं जोड़ा तो खाता बंद कर दिया जाएगा।"

बैंक मैनेजर की बात सुनकर मैं चुपचाप अपने घर लौट आया और अगले दिन यानि 1 जुलाई 2017 को मैंने बैंक मैनेजर द्वारा मेरे साथ किये गये दुर्व्यवहार और मेरे चेक के भुगतान से इनकार किये जाने की जानकारी कैंसिल हुए चेक की प्रति के साथ बैंकिग लोकपाल को भेज दी।

उसी दिन शाम को जब मैं अपने भाई के साथ बैठकर चाय पी रहा था तभी मेरे भाई ने यूं ही बात छेड़ते हुए कहा, "भाई मेरे ख्याल से उस बैंक मैनेजर ने सरकारी दबाव के कारण ही बैंक खाते को आधार से जोड़ने की बात की थी। वैसे भी हम लोगों के मोबाइलों पर किसी अंजान रीजनल अधिकारी की तरफ से बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए संदेश आते रहते हैं।"

"हो सकता है कि बैंक मैनेजर ने सरकारी दबाव के कारण ऐसा किया हो पर सरकार गैर-कानूनी तरीके से इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है, खैर जो भी हो इस बारे में मैंने बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर दी है उम्मीद करते हैं कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करेगा।" मैंने लापरवाही से कहा।

"भाई लगता है, तुम भूल रहे हो अभी पिछले साल 8 नवम्बर 2016 को इस देश में जो नोटबंदी हुयी थी वह भी पूरी तरह से गैर-कानूनी थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने, अपने साथियों अरुण जेटली और उर्जित पटेल के साथ मिल कर अंजाम दिया था और मैंने अपने 13 नवम्बर 2016 वीडियो[4] के जरिये नरेंद्र मोदी, उर्जित पटेल और ख़ासकर अरुण जेटली को संबोधित करते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यह बताया था और उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि नोट पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और नोट पर

[4] देखें लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=cqE8ed81ayA

लिखी राशि के भुगतान के लिए वह वचन देकर बाध्य होता है और यह कि किस प्रकार से वचनभंग करके यह लोग एक विधिक करार, जो संविदा था, को अविधिमान्य कर जनता से फ्रॉड कर रहे हैं। जिसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए थी और नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो चिकने घड़े हैं इन पर मेरी बातों का कोई असर हुआ था, वहीं जहाँ संसद के नेताओं को चाहिए था कि वे नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और उर्जित पटेल से जवाब तलब कर उन्हें घेर लेते और इन तीनों को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर देते और फिर नोटबंदी वापस ले ली जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उलटे उस समय नोटबंदी का देश के सारे नेता संसद में जिस तरह मजा ले रहे थे उसे देखकर लगता था मानो वे खुद भी इस नोटबंदी के किये जाने के पीछे शामिल थे, क्या वह सारी बातें तुम भूल गये हो। मैं गुमनाम रहते हुए यही चाहता था कि नोटबंदी को वापस ले लिया जाए और तुमने मेरी उस गुमनाम यू-ट्यूब वीडियो को अपने फेसबुक पेज की 13 नवम्बर की पोस्ट के जरिये शेयर किया था तो तुमने अपनी पोस्ट के जरिये कहा था कि "कई बन्धु एवं भाजपा कार्यकर्ता मेरे पूर्व सन्देश पर प्रश्न पूछ रहे हैं.... 500 एवं 1000 के नोटों पर मोदीजी का नियम क्यों नहीं चलना चाहिए....? उन सभी लोगों और #मोदीजी, #जेटलीजी एवं #RBIGovernor से अनुरोध है कि वे इस विडियो को अंत तक जरूर देखें....:

https://www.youtube.com/watch?v=cqE8ed81ayA
"

'"हाँ मुझे याद है कि 14 नवम्बर 2016 को मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जो इस प्रकार से थी: #मोदीजी, #जेटलीजी, कल एक भारत

के नवयुवक ने आपकी #भारतीयसंविदाअधिनियम,1872 की क्लास ली। आज हम आपको #संविधान पढ़ाते हैं। गौर से पढ़िए:

‘"#कालेधन के नाम पर प्रतिव्यक्ति से जिस बचत किये हुए पैसे को ऐंठना चाहते हैं तथा उसके खुद के खाते से पैसे निकालते समय असंवैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं उस विषय में आप जान लीजिये। प्रतिव्यक्ति कर #राज्य सूची (schedule VII List 2) का विषय है, जिसपर क़ानून अथवा कोई भी नियम बनाने से पहले आपको संसद के दोनों सदनों एवं देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती है। और अंततः राष्ट्रपति की assent चाहिए होती है।

‘‘“आपने इसे असंवैधानिक तरीके से देश में लागू तो कर दिया है, पर संसद के दोनों सदनों और आधे से अधिक यानि 16 राज्यों की सहमति कहाँ है? आपने जो काम किया है वह संविधान का खुला उल्लंघन है। इसलिए आप दोनों त्यागपत्र दीजिये। संसद भंग कीजिए और देश में पुनः चुनाव करवाइए।" मैंने अपनी बात आगे कहते हुआ कहा, “तुमने जिस प्रकार से 13 नवम्बर 2016 के वीडियो में अपनी बात रखी थी उसमें तुमने वचन, करार और संविदा को भली भांति से स्पष्ट कर दिया था, नोट धारक को दिया गर्वनर का वचन है और पूरी तरह से विधिक रूप से प्रवर्तनीय है। ‘privy of contract’ के सिद्धांत (अर्थात संविदा से बाहर का व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं होता है इसलिए वह उस संविदा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है) से नोट पर दिए गये वचन से हुयी संविदा के पक्षकार केवल धारक और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का गवर्नर हैं ऐसे में संविदा से बाहर का व्यक्ति (नरेंद्र मोदी) बैंक नोट के धारक और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का गवर्नर के बीच हुयी संविदा में दखल नहीं दे सकता है परन्तु फिर भी उसने नोटबंदी कर अविधिक ढंग से 500 और 1000 रूपये के नोटों का

लीगल टेंडर को तो खत्म ही कर दिया, जिसे करने की उसमें शक्ति नहीं थी।"

"जानते हो भाई, काले धन के नाम पर 8 नवम्बर 2016 को की गयी नोटबंदी द्वारा 500 और 1000 रूपये के लीगल टेंडर को खत्म किये जाने के बाद देश और समाज का जितना समय और धन बर्बाद हुआ है इसकी भरपाई होने कितना समय लगेगा इसका हममें से कोई भी आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है। हम लोग खुद भी तो अपने ही पैसों को बैंक से निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। दिन के चार-पाँच घंटे तो बैंक में पुराने नोटों को जमा करने और नये नोट को निकालने में गुजर जाते थे। और बैंक से मिलने वाले 2000 के नोट का छुट्टा कराने के लिए कम से कम 200 या 300 रूपये का सामान न चाहते हुए भी हम लोगों ने खरीदा है। क्या तुम वह सब बातें भूल गये हो?"

"मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मेरे भाई, मुझे हर एक घटना अच्छी तरह से याद है कि नोटबंदी किये जाने के सदमे से कैसे गोरखपुर में एक धोबन की मौत हुयी थी, किस तरह से लोगों को 500 के बदले में 300 और 1000 रूपये के बदले में 700 रूपये देकर काला बाजारी की गयी थी, मुझे याद है किस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यालयों में 35 प्रतिशत कटौती कर के पुराने 500 और 1000 रूपये के नोटों के बदले जाने की खबरें मीडिया में आ रही थीं। किस तरह से इस नोट बंदी में किसानों की जमीनों को हथियाया गया था; और तो और पार्क, तालाब, कब्रिस्तान, चरागाहों और सारी खाली जमीनों, जो पशु पक्षियों के लिये शरण स्थली थे, को इस नोट बंदी ने बर्बाद कर दिया। हमारा प्यारा उद्योग नगर मैदान, जहां पर शाम के समय अकसर हम टहलने जाया करते थे, हम लोगों से छिन गया। इस नोटबंदी ने इस देश के संसाधनों का जिस तरह से नाश किया है वैसा नाश होने में कम से कम बीसियों साल लगते। इस नोटबंदी ने बच्चों से उनके खेलने के

मैदान और आवारा जानवरों से उनके सुस्ताने और पनाह लेने की जगहों को छीन लिया। नोटबंदी के बाद से चौड़ी गाड़ियों और कारों की संख्या में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि इन गाड़ियों के आवागमन के लिए दो लेन की सड़कों को पहले चार लेन का किया और जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो सड़क चौड़ी करने के नाम पर सड़कों से वे फुटपाथ खत्म कर दिए गये, जिन पर पैदल-यात्री किसी समय चला करते थे और गरीब तबके के लोग अपनी दुकानें लगाया करते थे।

"नोट बंदी के उस बुरे दौर की एक–एक घटना मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार से नोटबंदी से पूरे देश में अव्यवस्था फ़ैल गयी थी। नोटबंदी के इस फैसले ने तो घर की औरतों तक को नहीं छोड़ा था उनका तो झाड़ा ले लिया गया था। जरूरत के समय के लिए जिन पैसों को उन्होंने अपने पति और बच्चों से गुप्त रूप से बचा कर रखा था अब उनकी बचत के 500 और 1000 रूपये के नोट नोटबंदी के कारण रद्दी हो गये थे। लोग 500 रूपये और 1000 रूपये के अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए दिन-दिन भर ठिठुरती सर्दी में बैंक और एटीएम की पंक्तियों में खाली पेट खड़े रहते थे। औरतें अपने दुधमुंहे बच्चों को लेकर एटीएम की पंक्तियों में मजबूरन खड़ी रहतीं ताकि घर खर्च के लिए वे बैंक के 2000 के नये नोट लें ले और जाकर अपने आवश्यक सामानों को खरीद सकें। कई लोग तो दिन निकलने से पहले ही बैंक की कतारों में खड़े हो जाते ताकि एटीएम से वह 2000 के नये नोट को अपने घर खर्च के लिए निकाल सकें। किसान अपने फल-सब्जियों को पच्चीस पैसे किलो में बेच रहे थे। हर तरफ अराजकता फ़ैल गयी थी। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाना छोड़कर एटीएम की कतारों में खड़े थे। वह लोग जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो गयी थी क्योंकि उनके ग्राहक उनकी दुकानों पर आने की बजाय बैंक और एटीएम की कतारों में खड़े

रहते थे। 150 से ज्यादा लोग बैंक और एटीएम की कतारों में खड़े-खड़े ही मर गये यह तो वह संख्या है जो कथित तौर पर अखबारों में दी गयी थीं मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है यह कोई नहीं जानता सिवाय उन लोगों के जो इन मौतों के जिम्मेदार हैं। भारत की कई बेटियों की शादियां टूट गयी जिस वजह से उन लड़कियों और उनके पिताओं ने आत्महत्या कर ली। अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से पहले यह पूछना शुरू कर दिया कि क्या भुगतान के लिए वे 2000 के नए नोट लाये हैं, और जिन मरीजों ने नये 2000 के नोट के जरिये भुगतान करने में अपनी असमर्थता जाहिर की, अस्पतालों ने उन मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया, उनका इलाज करने से मना कर दिया। छोटी कम्पनियां नोटबंदी में अपने निर्माण के लिए न ही कच्चा माल खरीद पा रही थीं और न ही माल तैयार करने के लिए अपने कर्मचारियों को भुगतान कर पा रही थीं, और जिन कम्पनियों के माल तैयार थे वह अपने माल को बेच नहीं पा रही थी इन सबका परिणाम यह हुआ कि इस नोटबंदी के कारण कितनी ही कम्पनियां और लघु उद्योग बंद हो गये, लाखों की संख्या में लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाले गये इन लोगों को दुबारा कभी काम मिल पायेगा यह कहना मुश्किल है और तो और नोटबंदी के कारण पैदा हुए आर्थिक तनाव के कारण कई छोटी कम्पनियों के मालिकों की असमय मृत्यु भी हुयी थी। इस नोटबंदी ने लाखों बच्चों की पढ़ाई का एक साल बर्बाद कर दिया, और लाखों बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आम आदमियों की बात तो छोड़ो इस नोट बंदी ने सड़क पर आवारा टहलने वाले गाय-बैलों, कुत्तों तक को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था नोटबंदी के कारण आम लोगों के पास पैसों की जिस तरह से किल्लत आ गयी थी उससे लोगों ने अपनी जरूरत की चीजों में भी खरीदारी कम कर दी थी, साफ़ शब्दों में कहा जाए तो लोगों ने फलों और सब्जियों की खरीद

में जिस तरह से कटौती की थी उससे घर से निकलने वाला वह कचरा जिसे ये आवारा गाय-बैल खा लिया करते थे, वह भी इन गाय-बैलों को मिलना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही नोटबंदी से पहले जो लोग अपने घरों के सामने इन जानवरों को खाने के लिए अतिरिक्त बचा हुआ बासी खाना डाल देते थे वह भी इन जानवरों को मिलना बंद हो गया। यह इस नोट बंदी का वह पहलू था जिसे शायद ही किसी ने गौर किया था।

“समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं था जो इस नोट बंदी से प्रभावित न हुआ हो, रिक्शेवाले, ठेलेवाले, रोजी पर अपनी आजीविका कमाने वाले मजदूर, दुकानदार, किसान, आम आदमी, पशु पक्षी से लेकर भगवान तक इस नोट बंदी से प्रभावित हुए थे क्योंकि जिन लोगों को जरिये उन्हें आय की प्राप्ति होती थी वे सारे लोग तो बैंक की एटीएम की लाइनों में खड़े थे। यह बात हास्यास्पद लगती है परन्तु यह एक सच्चाई है कि नोटबंदी के समय में भगवान के मन्दिरों में यह सूचना टाँग दी गयी थी कि 500 और 1000 रूपये के बैंकों नोटों का लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया है इसलिए भक्तजनों से आग्रह है कि वे इन नोटों को दानपात्रों में न डालें। भक्तजन दानपात्र में 2000 के नए नोट या प्रचलन में चल रहे नोटों को ही डालें। इस नोटबंदी में टेलीविजन पर बेचे जाने वाले कुबेर कुंजी और लक्ष्मी यंत्र जैसे यंत्र बिलकुल बेकार साबित हुए क्योंकि वे नोटबंदी के प्रभाव को निष्फल न कर सके। यही हाल बाकी के यंत्रों का भी था क्योंकि हनुमान रक्षा कवच जैसे यंत्र भी इस देश को नोटबंदी के संकट से नहीं उबार पाए थे। और देश के मन्दिरों में रह रहे सारे देवी-देवता प्रभावहीन हो गये थे। इस प्रकार इस नोटबंदी ने आदमियों, दूसरे जीवों और सदियों से सर्वशक्तिमान माने जा रहे देवी-देवताओं तक को बुरी तरह प्रभावित कर निरीह बना दिया था। इस नोटबंदी में जो विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आये थे,

नोटबंदी के दौरान भारत में मिले अपने कटु अनुभवों को वे शायद ही कभी भुला पायेंगे।

“वास्तव में नोटबंदी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ऐसा अपराध था जो किसी भी कीमत पर राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। जिसके लिए फांसी से कम कोई सज़ा हो ही नहीं सकती थी, और यह बात नरेंद्र मोदी खुद भी अच्छी तरह से जानता था तभी तो नोटबंदी के दौरान वह जापान भाग गया था और उसे यह डर लग रहा था कि भारत की जनता कहीं उसके द्वारा गैरकानूनी ढंग से की गयी इस नोटबंदी के लिए उसे मार ही न डाले, बावजूद इसके इस देश की जनता ने नोटबंदी के इस प्रहार को हंसते हुए अपने सीने पर लिया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों को महात्मा गांधी के उस तरीके का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जिससे महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। और फिर पूरे देश भर में जगह-जगह पर लोगों ने, नरेंद्र मोदी की इस नोटबंदी को वापस लिए जाने के लिए, अपने स्तर पर नोटबंदी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने शुरू कर दिये। नरेंद्र मोदी द्वारा थोपी गयी इस नोटबंदी की आपदा में देश का पूरा मीडिया देश की जनता के साथ खड़ा हो गया जान पड़ता था। केरल में हजारों की तादाद में लोगों ने मानवश्रृंखला बना कर शांतिपूर्ण ढंग से नरेंद्र मोदी द्वारा देश में की गयी इस नोटबंदी का विरोध किया। जिस तरह से पूरे देश में धरने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे उससे तो फौरन ही नोटबंदी वापस ले ली जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वस्तुतः नोटबंदी के इस प्रकरण से मेरे सामने इतिहास की एक सच्चाई अनजाने ही उजागर हो गयी और वह यह थी कि भारत को आजादी महात्मा गांधी के शान्तिपूर्ण धरनों, प्रदर्शनों, और रैलियों से तो बिलकुल भी नहीं मिली रही होगी अन्यथा महात्मा गांधी का शान्तिपूर्ण धरनों, प्रदर्शनों, और रैलियों का वह अस्त्र जो अंग्रेजों, जो कि भारतीय नहीं थे,

के खिलाफ सफल हुआ था वह नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक भारतीय है, के खिलाफ विफल नहीं होता। मुझे लगता है इतिहासकारों ने भारत को मिली आजादी के वास्तविक कारणों को न लिख कर महात्मा गांधी द्वारा शान्तिपूर्ण धरनों, प्रदर्शनों, और रैलियों से आजादी दिलाने की बात सिर्फ यूं ही इतिहास के पन्नों को भरने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करने के लिए लिखी है जबकि वास्तविकता में देश को आजादी किसी और ही कारण से और किसी और ही व्यक्ति की वजह से मिली रही होगी, परन्तु उस कारण और उस व्यक्ति का नाम, जिसकी वजह से इस देश को आजादी मिली थी, इतिहास में नहीं लिखा गया है।" नोटबंदी के दिनों को याद करते हुए मैंने कहा।

"यह बात तो तुम बिलकुल सही कहते हो भाई, और नरेंद्र मोदी की इस नोटबंदी का सफल होना इसी बात की पुष्टि करता है।"

"पिछले साल 8 नवम्बर 2016 को, देश पर थोपी गयी यह नोटबंदी भारत के इतिहास का वह काला अध्याय है जिसे यदि कायदे से दर्ज नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को इस नोटबंदी के बारे में कुछ वैसा ही झूठ इतिहास में पढ़ना पड़ेगा जैसा हम अभी भारत की आजादी को लेकर पढ़ते आये हैं।" मैंने अपनी बात आगे कहते हुए कहा, "हालांकि इस नोटबंदी को करने के पीछे दलील यह दी गयी थी कि इसका मकसद देश में छिपे काले धन को निकालना है। पर मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि मेहनत करके अपना पैसा जमा करने वाले लोगों के पास यह काला धन कहां से आ सकता है, आम जनता के पास कोई छापाखाना तो होता नहीं है कि जब जी चाहा जितना जी चाहा नोट छाप लिया; हकीकत यह है कि देश का सारा काला-पीला-हरा-गुलाबी धन देश के नेताओं के पास ही होता है, क्योंकि घोटाले ये नेता करते हैं, विदेशी बैंकों में खाते इन नेताओं के होते हैं, और लोगों के दिए गये टैक्स के पैसों से विदेशों में

हनीमून ये नेता लोग मनाते हैं। बिना कुछ किये धरे इन नेताओं की पूरी जिन्दगी मौज-मस्ती और अय्याशियों में गुजरती है और ये कहते हैं कि देश का काला धन देश की मेहनतकश जनता के पास है। अरे इस नोटबंदी ने भी यही साबित किया है कि ये नेता जब चाहें लोगों की मेहनत से कमाए गये पैसों के मूल्य को शून्य कर दें और अपने सरकारी छापेखाने (आर. बी. आई.) से नये नोट छपवा कर खुद को धनवान बना लें। लोग तो मेहनत करते हैं फिर उस मेहनत के एवज में कुछ पैसे पाते हैं जबकि ये नेता छापेखाने में अपने नौकरों से कहकर अपने लिए जितना चाहें नोट छपवा कर अपने घरों और अपने बैंकों में जमा कर सकते हैं और उनके ऐसा करने पर उनसे यह पूछने वाला कोई नहीं है कि उन्होंने कितने पैसे छापकर इकट्ठा किये हैं। देश में हुयी नोट बंदी के बाद बैंकों में वापस जमा हुए रुपयों से भी यह बात साबित होती है कि इस देश की जनता का धन कोई काला धन नहीं है।"

"तुम्हारी बात बिलकुल सही है भाई, सरकारी छापाखाना (आर. बी. आई.) नेताओं के पास है तो जाहिर सी बात है कि धन भी उनके और उनके करीबियों के पास ही होगा। इस बात की पुष्टि तो नोटबंदी के समय मुकेश अम्बानी जैसे उद्योगपति के घर में हुए भव्य जश्न और नितिन गडकरी जैसे नेता के घर में हुयी शाही शादी से ही होती है।"

नोटबंदी के मुद्दे को लम्बा खिंचते देखकर मैंने हमारी बातचीत का रुख बदलने की कोशिश करते हुए कहा, "नोटबंदी इतिहास की गुजरी हुयी बात है, इसे कुरेदने से क्या फायदा चलो हम किसी और मुद्दे पर बात करते हैं।"

"किस मुद्दे पर?"

"कोई भी दूसरा मुद्दा!"

“कोई नया मुद्दा तलाशने के लिए हमें दूर नहीं जाना होगा। बस आज यानि 1 जुलाई 2017 का अख़बार उठाकर देख लो, तुम्हें नया मुद्दा मिल जाएगा।” मेरे भाई ने मुझे अख़बार थमाते हुए कहा।

“अरे हां, आज से तो देश में GST (वस्तु और सेवा कर) लागू हो गया है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाना वाला यह टैक्स 28% तक हो सकेगा,” अपनी बात आगे कहते हुए मैंने कहा, “टैक्स से आये इन लाखों करोड़ों रुपयों का किया क्या जाता है यह बात मुझे समझ में नहीं आती, आये दिन खबरें सुनने में आती हैं कि ट्रेन की पटरियों की देखभाल न करने की वजह से ट्रेन पलट गयी और बहुत सारे लोग मारे गये, या फिर यह कि घटिया सामान लगाये जाने की वजह से उद्घाटन से पहले ही कोई पुल या बाँध ढह गया। ये नेता टैक्स वसूल करते समय तो यह कहते है कि टैक्स में आया हुआ पैसा देश के विकास में इस्तेमाल होता है परन्तु सच्चाई यह है कि इन पैसों को देश के नये निर्माण में तो छोड़ो देश में निर्मित हो चुके पुराने निर्माण के रखरखाव तक में ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता है और पैसों का दुर्विनियोग किया जाता है।”

“भाई, यह सब छोड़ो पहले यह बताओ तुम्हारी नजरों में इस टैक्स GST की उगाही किस हद तक उचित है?”

“मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं लेकिन जितना मैं टैक्स के बारे में समझता हूँ उतना मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ।” अपनी बात आगे कहते हुए मैंने कहा, “टैक्स का लिया जाना जरूरी है परन्तु इसे किसी व्यक्ति की आय पर अधिकतम 10% तक ही लगाया चाहिए उससे अधिक नहीं और इसके अलावा किसी से यदि कोई भी टैक्स किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से लिया जाता है तो वह सरासर लूट है। और हाँ जहां तक मुझे याद पड़ता है

तुमने मुझे बताया था भारत के इतिहास का सबसे क्रूर मुसलिम शासक औरंगज़ेब भी जनता से 5% से ज्यादा टैक्स नहीं वसूला करता था।"

"बिलकुल सही कहा भाई, औरंगज़ेब 5% टैक्स वसूला करता था और यह टैक्स व्यक्ति की आय पर लिया जाता था न कि व्यय पर। शासन द्वारा अपने खर्चों की भरपाई के लिए किसी आदमी की आय पर 5-6% प्रत्यक्ष कर लगाने की बात उचित समझी जा सकती है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से किसी आदमी के व्यय पर टैक्स थोपना बिलकुल भी अनुचित है; किसी व्यक्ति से उसके व्यय पर टैक्स की उगाही करना लूट को विधिक जामा पहनाने वाली बात है। क्योंकि यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आदमी की आय हो या न हो उसके व्यय जरूर होते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात पर विचार करो कि कोई बिना आय का आदमी अपनी जरूरतों के लिए यदि कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लेता है तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु या सेवा के लिए उसने अपनी बचत के पैसों को खर्च किया है और अब तुम्हीं बताओ भाई किसी आदमी की बचत के पैसों पर इस प्रकार से टैक्स लिया जाना कहां से उचित है।

"एक और बात भाई जब से देश आजाद हुआ है इसकी आबादी भी बढ़ी है और आबादी के साथ ही नौकरीपेशा लोगों की संख्या भी बढ़ी है ऐसे में देश की आजादी के समय जितना टैक्स सरकार को प्रत्यक्ष-कर के रूप में मिलता रहा होगा इस समय उससे कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष-कर सरकार को अब मिलता है ऐसे में अब जनता पर अप्रत्यक्ष-कर थोपने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। देश के नेता, लोगों पर नये-नये टैक्स थोपने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं पर वे यह भूल जाते हैं कि कोई आदमी जो प्राइवेट काम करता है उसकी आय से स्रोत सीमित होते हैं जब भी यह टैक्स थोपा जाता है तो इससे उस व्यक्ति के आजीविका चलाने के संसाधन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है, टैक्स के बढ़ाए जाने से उस आम

गैर सरकारी आदमी की आय इन नेताओं की आय की तरह बेहिसाब नहीं बढ़ती है बल्कि यह तो उसके सीमित साधनों से होने वाली सीमित आय पर एक करारी चोट करता है, उसे दिन–प्रतिदिन आर्थिक रुप से कमजोर बनाता है। जिस वजह से बढ़े हुए टैक्स के कारण आई महंगाई में उसे अपने खर्चों की भरपाई के लिए मजबूरन ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे भ्रष्टाचार और मिलावट जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। जब तक इस देश और दुनिया में अप्रत्यक्ष-कर नहीं लिया जाता था तब तक खाने-पीने की चीजों को आदमी निश्चिंत होकर खरीद सकता था लेकिन सरकार में बैठे नेताओं ने जब से अपने निजी खजानों को भरने के लिए जनता पर यह अप्रत्यक्ष-कर लगाना शुरू किया है और इसमें इजाफा किया है तब से लगातार खाने-पीने की चीजों में मिलावट बढ़ी है। अप्रत्यक्ष-कर, अप्रत्यक्ष होता है इसलिए इसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं होता है यह सिर्फ और सिर्फ जनता से अप्रत्यक्ष तरीके से ज्यादा से ज्यादा उगाही करने के लिए होता है और इससे जमा होने वाले पैसे का उपयोग ये नेता लोग अपने निजी रागरंग और हनीमून के लिए इस्तेमाल करते हैं। देश को आजाद हुए सत्तर साल हो गये हैं लेकिन इन नेताओं का यह राजकोष हमेशा खाली ही रहता है जबकि लगातार हर साल इनके राजकोष में कितने लाख करोड़ धन इकट्ठा होता है इसका कभी कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। देश में कोई आपदा आती है, या कहीं बाढ़ आती है तो ऐसे अवसरों पर भी यह नेता राहत कोष के नाम पर पैसे मांगने से नहीं चूकते हैं अरे मैं पूछता हूँ इन्होंने जो पैसा वर्षों से टैक्स के रूप में इकट्ठा किया था यह उसे उस आपदा या बाढ़ के समय में खर्च क्यों नहीं करते हैं, इनका टैक्स कलेक्शन तो हर साल कई लाख करोड़ का होता है, ऐसे में उस आपदा या बाढ़ से निपटने के लिए कुछ हजार करोड़ रूपये ही तो खर्च होंगे जिसके लिए इन्हें जनता से गुहार करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये जनता से राष्ट्रीय

आपदा के नाम पर पैसे मांगते हैं क्यों? इस बात का है कोई उत्तर तुम्हारे पास।...खैर छोड़ो असली सवाल यह है कि नोटबंदी में जिस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें देखकर क्या तुम्हें यह लगता है कि GST से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होगा या इससे उन लोगों की स्थिति और भी बदतर होगी?" मेरे भाई ने कहा।

"नोट बंदी ने जिस तरह से लाखों आदमियों से उनका रोजगार, उनकी आय के स्त्रोत को छीन लिया है उसके बाद देश में लगाये गये इस GST से देश की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा और लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आएगी यह बात तो शायद की कोई अर्थशास्त्री स्पष्ट कर सकता है। फिलहाल प्रथमदृष्टया देखने पर ही यह स्पष्ट है कि यह GST उन लोगों के लिए कोढ़ में खाज होने जैसा है जिनका रोजगार उनसे छिन गया है। अरे बेरोजगार हुए लोगों की बात तो छोड़ो बाकी का आम जनमानस भी GST से अपने रोजमर्रा के आवश्यक खर्चों में भी कटौती शुरू कर देगा जिसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई निर्माता और सेवा प्रदाता कोई सामान बनाता है या कोई सेवा प्रदान करता है तो यह जरूरी नहीं है लोग उसके सामान या सेवा को लें, लोग मुश्किल से ही उन चीजों को खरीदेंगे जिनकी उन्हें जरूरत होगी। इस तरह से यह GST दो तरह से उद्योग धंधों और सेवाओं के लिए हानिकर है पहला यह कि यह टैक्स के रूप में निर्माता या सेवाप्रदाता को सीधे चोट पहुंचाता है क्योंकि वे निर्माता भी निर्माण के लिए सामान खरीदते हैं और उस सामान की खरीद पर GST देते हैं और दूसरा यह कि उस निर्माता या सेवा प्रदाता के तैयार माल को खरीदने में लोग कटौती करेंगे तो यह बात भी उस निर्माता या सेवा प्रदाता के प्रतिकूल ही जायेगी। GST से देश के निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की कमर ऐसे टूटेगी की वे भारत में पैसा लगाने और उद्यम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। इससे नए उद्यमों के शुरू होने की बात तो छोड़ो

जमे जमाए उद्यम भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे और मजबूरन उन्हें अपने कामगारों और कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी। और इसका परिणाम यह होगा कि अभी जिन लोगों के पास रोजगार है वे भी बेरोजगार हो जायेंगे। ज्यों-ज्यों बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे-वैसे लोगों की खरीदने की क्षमता गिरती चली जायेगी और वैसे-वैसे उद्योग धंधे बंद होते चले जायेंगे, और फिर मिलावट, भ्रष्टाचार, चोरी छिनैती जैसे अपराध बढ़ते चले जायेंगे। ...चलो फिलहाल के लिए हम लोगों ने इस मुद्दे पर भी काफी विचार-विमर्श कर लिया है, अब हम बाकी बातों को भविष्य पर छोड़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटबंदी और GST का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है।" यह कहते हुए मैंने हमारी बातचीत खत्म की।

देश में GST के लागू होने के बाद कुछ और दिन बीत गये। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने GST का हल्का-फुल्का दिखावटी विरोध किया था और फिर इस विरोध की बात आई गयी हो गयी, और जुलाई-अगस्त में ही अख़बारों में यह खबर छपी की GST के लागू होने के बाद से स्कूलों ने अपनी फीसों को काफी बढ़ा दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि लाखों बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, यह होना स्वाभाविक ही था क्योंकि नोटबंदी में जिस तरह से लाखों लोग बेरोजगार हुए थे उनके लिए अपने खर्चों को ही निकल पाना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में इस GST के कारण बच्चों की बढ़ी हुयी फीस को दे पाना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार 'शिक्षा के मौलिक अधिकार' को एक 'लक्ज़री आइटम' बनते हुए मैंने देखा। इतना सब होने पर भी देश में लगाये गये इस GST का विरोध इसलिए भी नहीं किया गया था क्योंकि इससे पहले नोटबंदी में लोगों के विरोध और प्रदर्शनों का कोई नतीजा नहीं निकला था, साथ ही यह कि इस समय नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगियों की तरफ से लोगों को मोबाइलों पर और संचार माध्यमों से यह संदेश भेजा जा रहा था:

“सरकार ने बैंक में नया खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। और पुराने बैंक खातों को 31 दिसम्बर 2017 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है अन्यथा सारे खातों को अविधिमान्य घोषित कर दिया जाएगा” ऐसे में नोटबंदी के कारण अधमरे हो चुके देश के लोग, जो चारों तरफ से आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे, इस संदेश के मानसिक उत्पीड़न से इस तरह ग्रसित थे कि उन्होंने इस GST का विरोध नहीं किया।

नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू करके देश को जिस गति से डेवलपमेंट की राह पर सरपट दौड़ा दिया था, उसका परिणाम नोटबंदी में लोगों की मौत, लाखों लोगों की बेरोजगारी, लाखों बच्चों के साल बर्बाद होने और उनके शिक्षा से विमुख होने के रूप में नजर आया था इन चीजों का जिक्र करना जरूरी है इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लिखा है।

जुलाई के महीने की दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो अखबारों में आई थी वह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में, गोपनीयता से जुड़े सवालों को लेकर, आधार पर बहस शुरू हो गयी थी, और 19 जुलाई 2017 से सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने इस विषय पर सुनवाई शुरू कर दी थी कि क्या निजता का मौलिक अधिकार है या नहीं। इस सुनवाई का सकारात्मक परिणाम पाने के लिए देश की जनता और हम लोगों को ज्यादा लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ा और अगस्त का महीना उस समय एक राहत देने वाला महीना साबित हुआ जब 24.08.2017 को आधार मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने यह घोषित किया कि “निजता का अधिकार जीवन के अधिकार, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21, का मूलभूत भाग है।”

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम सभी देशवासियों ने राहत की सांस ली थी, ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोगों को

आधार के खतरनाक चंगुल से बचा लिया था। राजनीतिक दलों के नेताओं ने, बड़े अभिनेताओं ने और जनसामान्य के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आधार मामले में दिए गये निर्णय की बढ़-चढ़कर सराहना की और अख़बारों ने भी इन नेताओं और अभिनेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सराहना के कहे गये वक्तव्यों को छापा, हम लोग भी आधार मामले में आये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश थे कि चलो देश पूरी तरह से बर्बाद होने से बच गया।

लेकिन आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने का मतलब यह नहीं था कि आधार को लोगों के बैंक खातों से जुड़ा कर लोगों के बैंकखातों में हेराफेरी करने की फिराक रखने वाले लोग चुप हो जाते खासकर तब जब उन्हें अपनी दो योजनाओं नोटबंदी और GST में सफलता मिल चुकी थी। इन लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उनकी आधार योजना पर पानी फेर दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री के पद का एक बार फिर से दुरुपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के गवर्नर उर्जित पटेल के साथ मिलकर दीपावली धमाका किया अख़बार में यह खबर छपवा दी कि आधार को बैंक खातों से 31.12.2017 से पहले जुड़वाना अनिवार्य है। और लोगों की दीपावली ठीक तरह से बीती भी नहीं थी कि एक बार फिर से आधार मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नये सिरे से फिर से शुरू हो गयी थी, बस अंतर केवल इतना था कि इस बार पाँच सदस्यीय पीठ आधार से जुड़े मामले को सुन रही थी और कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से यह दलील पेश की गयी थी कि आधार एक लोक-कल्याणकारी योजना है इसका उद्देश्य सभी लोगों को आधार से जुड़े लाभों को प्रदान करना है इसलिए वह मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजकर लोगों को अपने बैंकों के खातों से आधार को जुड़वाने के लिए (धमकी भरे) संदेश भेज रही है। एक बार

फिर से हम सभी देशवासी अधर में लटक गये और सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकने लगे, कभी-कभी अख़बारों में यह खबर छप जाती कि मामले में प्रगति करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। इससे ज्यादा और कोई प्रगति मामले में दिखाई नहीं दी थी।

हालांकि अक्टूबर का महीना खत्म होने को आया था लेकिन अभी तक बैंकिंग लोकपाल को भेजी गयी मेरी शिकायत का मुझे कोई जवाब नहीं मिला था मगर बैंक की तरफ से मेरे किसी भी बैंकिंग ट्रांसएक्शन के काम में कोई अड़चन पैदा नहीं की गयी थी, यह मेरे लिए एक बड़ी बात थी परन्तु मोबाइल पर अभी भी बैंकों की तरफ से यह संदेश भेजे जा रहे थे कि "सरकारी निर्देशानुसार बैंक खातों को 31.12.2017 से पहले आधार से जुड़वाना अनिवार्य है अन्यथा बैंकिंग सेवा बंद कर दी जायेंगी" और तो और इसी बीच इस प्रकार से मोबाइल कंपनियों की तरफ से भी लगातार यह संदेश भेजे जाने शुरू कर दिए गये थे कि सरकारी निर्देशानुसार अपने मोबाइल नम्बर को आधार से जुड़वाना अनिवार्य है अन्यथा मोबाइल सेवा बाधित कर दी जायेगी।

इस बार नरेंद्र मोदी द्वारा आधार को माध्यम बनाकर पैदा की गयी समस्या को लेकर देश के सभी आम लोग कैसा महसूस कर रहे थे, यह बता पाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि सभी लोग लगभग चुप ही थे इस बार न ही मीडिया और न ही कोई नेता इस बारे में चर्चा कर रहा था। हाँ कभी-कभार यह खबरें अखबारों में देखने-सुनने में जरूर आ जाती थीं कि कुछ लोगों, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़ गये थे, के खातों से पैसों की चोरियां हुयी थीं पर इससे ज्यादा कोई प्रगति आधार मामले में देखने को नहीं मिली थी।

अक्टूबर के बाद नवम्बर का महीना भी खत्म होने को आया था, आधार मामले में साधी गयी चुप्पी किसी के लिए चिंता का विषय रही हो या न रही हो परन्तु अब वह कम से कम मेरे और मेरे घर के बाकी लोगों के लिए चिन्ता का सबब जरूर बन गयी थी क्योंकि मोबाइल पर बैंकों और मोबाइलों कम्पनियों द्वारा जिस प्रकार से आधार को लेकर संदेश प्रसारित किये जा रहे थे उससे हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न और तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि एक तो 31.12.2017 की तारीख निकट आ रही थी दूसरे मोबाइल पर भेजे जाने वाले इन संदेशों का धमकी भरा लहजा इस बात को पुष्ट करता था कि आधार निश्चित रूप से एक फ्रॉड स्कीम है, वैसे भी हम लोगों ने अखबारों में यह खबरें देख ली थीं कि कुछ लोगों, जिनके खाते आधार से जुड़े थे, के बैंक खातों से पैसे चोरी हुए थे, इसलिए यह बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गयी थी कि अगर आधार का किसी लोककल्याणकारी योजना से वास्तव में कोई लेना-देना होता तो हम लोगों को ऐसे धमकी भरे संदेश कभी न भेजे जाते।

दिसम्बर का महीना शुरू होने के साथ ही हम लोगों की बेचैनी और भी बढ़ गयी थी और हालात यह थे कि अब तो रात के समय, जब हम लोग सो रहे होते उस समय भी मोबाइल पर बैंकों और मोबाइल कम्पनियों की तरफ से आधार को जुड़वाने के सन्देश आने लगे थे। हर सुबह जब मैं उठता तो मैं इसी उम्मीद से अख़बार देखता था कि शायद अख़बार में कोई ऐसी खबर छपी हो जो आधार के कारण पैदा हुए इस मानसिक उत्पीड़न से हमें निजात दिलाये। इसी उम्मीद से, सुबह उठने के बाद जब मैंने 06.12.2017 के अख़बार को देखा तो पाया कि अख़बार में कोई भी ऐसी खबर नहीं थी जिसे राहत देने वाला कहा जा सके इसलिये अनमना होकर मैं अख़बार को एक तरफ कोने में रख ही रहा था कि तभी मेरे भाई ने आकर मुझसे

कहा, “क्यों भाई, क्या अख़बार में कोई ख़ास खबर छपी है जो हम लोगों के काम की है।”

“नहीं।” मैंने जवाब दिया, “बस चुनावी खबरें और नेताओं की फालतू बयानबाजी ही छपी है, जिसका कोई मतलब नहीं है।”

“कोई बात नहीं, जानते हो आज रात मैंने एक सपना देखा है और जिस प्रकार से यह सपना मुझे दिखा है उसे देखकर मुझे लगता है यह सपना जरूर सच हो जाएगा।”

“क्या सपना देखा है तुमने?” मैंने पूछा।

“भाई मैंने सपने में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि किसी का मुंह ताकने से कुछ नहीं होने वाला है, यदि मैंने कुछ नहीं किया तो कोई कुछ नहीं करेगा, इस आधार मामले को यदि मैंने खत्म नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर इस देश को तबाह होने से कोई नहीं रोक पायेगा।”

“हो सकता है यह सपना तुम्हें इसलिए आया हो क्योंकि आजकल रात-दिन, वक्त-बेवक्त किसी भी समय मोबाइल पर बैंकों और मोबाइल कम्पनियों द्वारा आधार को बैंक खाते और मोबाइल से जुड़वाये जाने के बारे में संदेश भेजे जा रहे हैं।” मैंने कहा।

“तुम्हारी बात सही हो सकती है, भाई परन्तु मुझे इस सपने में सच्चाई दिखाई देती है। नोटबंदी का प्रकरण हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है उस समय भी न ही किसी नेता ने और न ही कोर्ट से ऐसा कुछ किया था जिससे इस देश में हुयी नोटबंदी वापस ले ली गयी होती, उस समय भी लोग कितने परेशान थे क्या वह सब तुम भूल गये हो। अब समय आ गया है जब हम हाथ-हाथ पर धरे नहीं बैठ सकते हैं। नोटबंदी के समय देश के ये कर्णधार

नेता यदि चाहते तो नरेंद्र मोदी, उर्जित पटेल और अरुण जेटली को उनके द्वारा की गयी गैरकानूनी नोटबंदी के लिए उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकते थे, लेकिन उस समय संसद में नोटबंदी पर इन नेताओं ने बढ़-चढ़ कर हंसी-ठिठोली की थी, और कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे इस नोटबंदी को वापस ले लिया जाता। रही बात कोर्ट की सक्रियता की तो मैं मानता हूँ कुछ नये वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी, लेकिन देश के बहुत ही दिग्गज वकील कपिल सिब्बल साहब ने बीच में कूदकर मामले में पता नहीं क्या दलीलें पेश की थीं कि मामले में कोर्ट का फैसला आना तो दूर की बात कोर्ट का 'स्टे' तक नहीं मिला था। और फिर देश की जनता और हम सभी को नोटबंदी को झेलने के लिए विवश होना पड़ा था, अगर उस समय किसी ने सार्थक ढंग से कुछ किया होता तो देश को नोटबंदी की त्रासदी न झेलनी पड़ती।"

"कह तो तुम बिलकुल सही रहे हो, नरेंद्र मोदी की नोटबंदी ने जिस तरह से लोगों को मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट दिए, बेहिसाब लोगों की जानें लीं, लाखों लोगों को बेरोजगार किया, लाखों बच्चों के साल को बर्बाद किया और कितने ही उद्योग धंधों को बंद होने के लिए विवश कर दिया उसे देखने के बाद तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगियों द्वारा आधार के नाम पर जिस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है उसे देखकर यह नहीं लगता है कि आसार अच्छे हैं... वैसे, मैंने पढ़ रखा है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क कई अवसरों पर हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास करा देता है, ऐसी स्थिति में जैसा तुम बता रहे हो बहुत संभव है कि यह ईश्वरीय प्रेरणा ही हो जिसने तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क के जरिये तुम्हें आगाह किया हो, इसलिए इस समय यदि तुम आधार के खिलाफ खड़े होते हो तो चाहे तुम अकेले ही क्यों न हो ईश्वर

तुम्हें सफलता जरूर देगा।" फिर अपनी बात आगे कहते हुए मैंने कहा, "लेकिन अब तुम करोगे क्या?"

"बैंक खाते और मोबाइल को आधार से जुड़वाने के लिए धमकी भरे संदेश भेज कर हम लोगों का मानसिक उत्पीड़न करने के लिए मैं इन लोगों को लीगल नोटिस भेजूंगा!"

"क्या??"

"हां बड़े भाई मैं नरेंद्र मोदी, मनोज-सिन्हा[5] और उर्जित पटेल को लीगल नोटिस भेजूंगा।" मेरे भाई ने दृढ़ता के साथ कहा। "और इन लोगों को यह नोटिस मैं आज ही लिखूंगा। और स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी नोटिस के जरिये यह बता दूंगा कि इस बार ये लोग सरकार की आड़ में बच नहीं पायेंगे क्यों यह नोटिस मैं उनको वैयक्तिक हैसियत में सम्बोधित करते हुए भेजूंगा ताकि यदि मुकदमा लड़ने की नौबत आती है तो यह वाद एक जनहित याचिका नहीं वरन व्यक्ति बनाम व्यक्ति वाद के रूप में दाखिल हो ताकि कहीं से भी मामले में लीपापोती के किये जा सकने की कोई भी गुंजाइश न रहे।"

"यह तुमने बिलकुल सही सोचा है, भले ये लोग कितने भी बड़े पदों पर क्यों न बैठे हों, परन्तु हैं तो वे भी इसी देश के नागरिक ही, इसलिए वैयक्तिक हैसियत में उन्हें नोटिस भेजने का तुम्हारा निर्णय बिलकुल सही है।" मैंने अपनी बात आगे कहते हुए कहा, "वैसे इतने बड़े लोगों को वैयक्तिक हैसियत में दायी बनाकर नोटिस भेजने वाले इस देश के तुम पहले वकील

---

[5] मनोज-सिन्हा—यहाँ और इस पुस्तक में अन्यत्र कहीं पर 'मनोज-सिन्हा' संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से समझा जायेगा जिसने भारत के दूरसंचार एवं सूचना मंत्री पद पर होते हुये मोबाइल और संचार के माध्यम से यह संदेश प्रसारित करवाए कि "भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंक खातों को 31.12.2017 से पहले आधार से जुड़वाना अनिवार्य है अन्यथा बैंकिंग सेवा बंद कर दी जायेगी" और साथ ही मोबाइल कंपनियों की तरफ से लगातार यह संदेश भिजवाये कि "भारत सरकार के निर्देशानुसार अपने मोबाइल नम्बर को आधार से जुड़वाना अनिवार्य है अन्यथा मोबाइल सेवा बाधित कर दी जायेंगी।"

होगे, इसलिए तुम इन लोगों से इस नोटिस की फीस और वाद-शुल्क के रूप में कितनी रकम का दावा करोगे?"

मेरे चेहरे पर आते हंसी के भाव को देखते हुए मेरे भाई ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, "भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो हर एक नागरिक के खाते में 15-20 लाख रुपये यूं ही आ जायेंगे, भाई तुम तो जानते ही हो कि मैं यूं ही खैरात में पैसे लेने वालों में से नहीं हूँ इसलिए अपनी इस नोटिस को लिखने में की गयी मेहनत के लिए मैं नोटिस की फीस के रूप में 15 लाख रुपये की मांग करूंगा और रही बात वादशुल्क की तो क्योंकि यह कोई मामूली मुकदमा नहीं होगा बल्कि एक ऐसा मुकदमा होगा जिससे इस देश की 133 करोड़ जनता का भविष्य प्रभावित होगा, इसलिए वाद-शुल्क की कीमत मेरी राय में 133 करोड़ रूपये से कम नहीं होनी चाहिए।"

"यह तुमने बहुत सही सोचा है, वैसे भी ये बहुत ही नामी-गिरामी पैसेवाले लोग हैं, इसलिए यदि तुम इससे कम की राशि का जिक्र अपनी नोटिस में करते हो तो उलटे इन लोगों को लगेगा कि तुम इनकी औकात को कम आंक रहे हो और फिर बहुत संभव है कि वे तुम्हारी नोटिस को गंभीरता से न लें।" मैंने कहा।

इसके बाद मेरे भाई ने लीगल-नोटिस[6] तैयार की और इस नोटिस को मुझे दिखाते हुए कहा, "भाई, वकालत करने का तुम्हें ज्यादा अनुभव है इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम इस नोटिस को एक बार देखकर चेक कर लो,

---

[6] लीगल नोटिस की प्रति के लिए किताब के अंत में दिया गया संलग्नक 1 देखें

यदि इसमें कोई बात रह गयी हो या किसी बात को लिखने में मुझसे चूक हुयी हो तो तुम उसमें सुधार कर दो।"

मैंने नोटिस को चेक किया और फिर इसे वापस अपने भाई को देते हुए मैंने कहा, "वाकई तुमने ऐसी बेहतरीन नोटिस लिखी है जिसे भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं लिखा गया है।"

07.12.17 को मेरे भाई ने नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को वैयक्तिक रूप से दायी बनाते हुए रजिस्टर्ड डाक से लीगल नोटिस भेज दी।

08.12.17 यानि अगले दिन ही अख़बार में अरुण जेटली ने इस बात के संकेत दिए कि आधार से बैंक खातों को जोड़े जाने की तारीख 31 दिसम्बर 2017 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की जा सकती है।

फिर 14.12.17 को अख़बार में तफसील से यह खबर छपी कि आधार से बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर 2017 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।

जब मैंने यह खबर अख़बार में पढ़ी, तो मैंने अपने भाई से कहा, "तुम्हारी भेजी गयी लीगल नोटिस का असर यह हुआ है कि फिलहाल के लिए आधार से बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर 2017 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।"

मैंने अख़बार में छपी खबर अपने भाई को तो बता दी थी लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे जेहन में यह बात आई थी कि नोटिस के भेजे जाने के अगले ही दिन जिस प्रकार अचानक ही यह खबर अख़बार में छपी थी कि अरुण जेटली ने आधार से बैंक खातों को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2017 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 किये जाने की

संभावना जताई थी, और यह कि फिर 14.12.17 को अख़बार में तफसील से इस खबर का छपना कि आधार से बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर 2017 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था—ये दोनों ही बातें दिखाती थीं कि आधार से जुड़ा यह मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं था।

इस दौरान अभी सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर सुनवाई जारी ही थी और अख़बारों में छपी खबरों के अनुसार जिस प्रकार से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केहर के नौ सदस्यीय पीठ के 24.08.17 के आधार से जुड़े निर्णय को लेकर अब इस आधार मामले में कोर्ट के सामने बहस की जा रही थी उससे यह स्पष्ट जाहिर होता था कि मेरे भाई द्वारा नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को भेजी गयी नोटिस की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी मिल चुकी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई की नोटिस का प्रथम बिंदु ही 24.08.17 को आधार मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केहर के नौ सदस्यीय पीठ के निर्णय से शुरू होता है। जो भी हो, सर्दी के महीने में मेरे भाई की इस नोटिस ने माहौल को गर्म कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाड़े की छुट्टियां हो गयीं और अब इस आधार मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2018 में होनी थी।

इसके बाद यदि दो घटनाओं को छोड़ दिया जाये तो कुल मिलाकर दिसम्बर 2017 का महीना शांति से गुजर गया। पहली घटना यह थी कि आधार को बैंक खाते और मोबाइल से जुड़वाने की तारीख 31 मार्च 2018 बढ़ाये जाने की खबर के अख़बार में आने के बाद से एक पतला-दुबला आदमी जो पच्चीस-तीस वर्ष की आयु के बीच का रहा होगा, हमारे घर के सामने से सड़क पर प्रतिदिन सुबह के छह बजे के लगभग यह बड़बड़ाते हुए जाने लगा था, "तुम्हारी मौत दूर नहीं है, तुम जल्द ही मारे जाओगे, आखिर तुम कब तक बचोगे। ज्यादा से ज्यादा से एक साल तक

बचोगे।" और दूसरी यह थी कि हमारे घर के सामने की सड़क पर दिन भर चौड़ी गाड़ियाँ दौड़ने लगी थीं और रात-रात भर तक ट्रैक्टर जाने लगे थे जिनके शोर से हम लोगों की रात की नींद हराम हो गयी थी।

खैर, यह सब चलना जारी रहा और नया साल 2018 भी लग गया परन्तु हम लोगों ने इन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया और सामान्य ढंग से अपने कामों में व्यस्त रहे, इसी बीच अखबारों में खबर छपी कि 20.01.2018 को सुप्रीम कोर्ट आधार से जुड़े सारे सवालों पर अपने निर्णय को सुनाएगी, हम खुश हो गये कि चलो 31 मार्च 2018 से पहले ही आधार की समस्या से हम सभी लोगों को मुक्ति मिल जायेगी।

फिर अचानक ही 12.01.2018 को सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध एकजुटता दिखाते हुए एक प्रेस-वार्ता की, इस प्रेस-वार्ता के पीछे वास्तविक बात क्या थी यह तो वे न्यायाधीश ही जाने, पर मुझे अपने मन में यह बात खटकी थी कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी की गयी थी जिसे अपनी पदगत बाध्यताओं के चलते ये न्यायाधीश सार्वजनिक नहीं कर पा रहे थे।

जो भी हो, हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन नियत तिथि यानि 20.01.2018 के आने पर न जाने किन कारणों से, आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी निर्णय सुनने में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार मामले में निर्णय का न सुनाया जाना हम लोगों के लिए और शायद इस देश के उन बाकी नागरिकों के लिए एक चिंता की बात थी जिन्होंने अपने बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों को आधार से नहीं जुड़वाया था।

इसके बाद 30.01.2018 को यह खबर आई कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तनख्वाह बढ़ाकर लगभग तीन गुनी कर दी गयी

है। इस समाचार को सुनने के बाद मेरे मुख से सहज प्रतिक्रिया निकली, "अप्रत्याशित ढंग से न्यायाधीशों की तनख्वाह में की गयी यह तीन गुना वृद्धि निश्चय ही न्यायाधीशों के मन में आये उस आंतरिक मतभेद को दबाने के लिए है जिसके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी वह नोटिस है जो तुमने नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को भेजी है, और शायद इसी वजह से 20.01.2018 को जब आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना था तब अचानक से सन्नाटा खींच लिया गया और यह सब देखकर अब मुझे लगता है भाई कि नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा अथवा उर्जित पटेल की तरफ से तुम्हें तुम्हारी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलेगा।"

मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने कहा, "भाई, अभी 31.03.2018 आने में समय है, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो और देखते जाओ परिस्थितियां किस ओर रुख करती हैं। वैसे ये बात तुम आज कह रहे हो परन्तु इसका अंदाजा मुझे उसी समय से होने लगा था जब से वह अजनबी हर रोज सुबह छह बजे के लगभग हमारे घर के सामने से ऊँटपटांग बातें बड़बड़ाते हुए जाने लगा है, और हमारे घर के सामने से दिन-रात चौड़ी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर गुजरने लगी हैं। ये दोनों ही घटनाएँ मेरी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद आधार को बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों से जुड़वाने की तारीख बढ़ा कर 31.03.2018 किये जाने के बाद से शुरू हुयी हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएँ नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को मेरी नोटिस से हुयी खिसियाहट की कारण हो रही हैं, क्योंकि और कोई वजह तो है नहीं कि कोई हमारे घर के सामने से हर रोज यूं ही सुबह के छह बजे ऊँटपटांग बातें बड़बड़ाते हुए जाए और अचानक ही रात-दिन हमें गाड़ियों का अवांछनीय शोर और प्रदूषण सहना पड़े, और हमारे घर के आसपास का वातावरण इस तरह से अचानक बदल जाए। इनकी यह खिसियाहट

हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि अब हम अपनी तरफ से सतर्क रहें।"

"तुम्हारी बात पूरी तरह से तर्क संगत है क्योंकि पूरे देश में एकलौते तुम्हीं हो जिसने, इस उत्पीड़नकारी आधार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल जैसे व्यक्तियों को लीगल नोटिस भेजने की हिम्मत दिखाई है।"

फिर 26 फरवरी 2018 को अचानक हमारे घर के गेट पर डाकिये ने दस्तक दी और मेरे भाई का नाम लेते हुए आवाज लगाई, "आदित्य श्रीवास्तव!"

डाकिये द्वारा मेरे भाई का नाम लिए जाने पर मुझे लगा शायद नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा अथवा उर्जित पटेल की तरफ से मेरे भाई को उसकी भेजी गयी लीगल नोटिस का जवाब आया था लेकिन जब मैंने डाक को रिसीव किया तो मैं चकित हो गया कि यह मेरे भाई का बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश द्वारा भेजा गया एक फर्जी सर्टिफिकेट' और 'आई कार्ड' था। 'आई कार्ड' पर मेरे भाई की फोटो होने की जगह पर किसी और आदमी की तस्वीर थी। मेरे भाई ने बतौर वकील सन 2012 में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था और उसका सर्टिफिकेट' और वास्तविक 'आई कार्ड' सुरक्षित उसके पास था इसलिए इस फर्जी सर्टिफिकेट' और नकली 'आई कार्ड' को देखकर हम दोनों भाइयों को अनायास हंसी आ गयी।

"तुम्हारी नोटिस के जवाब में यह 'फर्जी सर्टिफिकेट' और नकली 'आई कार्ड'?" मैंने हल्की हंसी हंसते हुए कहा।

"अभी तक तो श्रीमान नरेंद्र मोदी अपनी ही फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाते आये थे लेकिन अब तो ये दूसरों के भी फर्जी सर्टिफिकेट और आई

कार्ड बनाने लगे हैं। सोचो, अगर देश के लोगों के बैंक खाते इस आधार से जुड़ गये होते तो क्या होता, इसे देखकर लगता है कि किसी भी फर्जी आदमी की तस्वीर को बड़ी आसानी से वास्तविक आदमी के आधार से वैसे ही जोड़ा जा सकता है जैसे इस फर्जी सर्टिफिकेट और नकली आई कार्ड पर मेरे वास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर को किसी फर्जी आदमी से जोड़ दिया गया है।" यह कहते हुए मेरे भाई ने उस 'फर्जी सर्टिफिकेट' और नकली 'आई कार्ड' के रजिस्ट्रेशन नम्बर को मुझे दिखाते हुए कहा।

"हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई। वाकई इस फर्जी सर्टिफिकेट और नकली आई कार्ड ने यह तो दिखा दिया है कि कैसे किसी आदमी की पहचान को चुराया जा सकता है। फिर उस पहचान पर बने नकली आधार के जरिये उस वास्तविक आदमी के खाते से पैसे आसानी से चुराये जा सकते हैं। इस आधार के जरिये तो पूरे देश को एक ही दिन में कंगाल किया जा सकता है।" मैंने कहा, "वैसे भी नोट बंदी के बाद लोगों के पैसों को तो बैंक में जमा करा ही दिया गया है, ऐसे में यदि बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया जाए तो बैंक से पैसे कहाँ और किसको गये कभी भी पता नहीं चल सकेगा, और बैंक खाता धारक कुछ भी नहीं कर पायेगा क्योंकि ये पैसे तो उसी के आधार नम्बर की सहायता से गायब किये जायेंगे।"

"भाई, इन लोगों द्वारा भेजे गये इस फर्जी सर्टिफिकेट और नकली आई कार्ड से यह बात तो साफ़ हो गयी है कि मैंने जिन लोगों को नोटिस भेजी है उन लोगों ने और ख़ास कर नरेंद्र मोदी व्यक्ति साहब ने अपने बैंक खातों, मोबाइल नम्बरों और पैन नम्बरों को आधार से नहीं जुड़वाया है।"

"'यह बात तुम बिलकुल ठीक कहते हो, वरना तुम्हारी नोटिस मिलने पर स्व-घोषित छप्पन इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी साहब मीडिया के सामने आकर कहते, 'भाइयों और बहनों, इस देश के एक नौजवान वकील

ने मेरी ईमानदारी पर प्रश्न उठाया है और नोटिस भेज कर मुझसे पूछा है कि क्या मैंने अपने आधार नम्बर को अपने पैन नम्बर से जुड़वाया है, क्या मैंने अपने बैंक खाते को आधार से जुड़वाया है, मेरी ईमानदारी पर प्रश्न उठाने वाले इस नौजवान को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं चाय बेच कर देश का प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं कोई चोर, बेईमान, भ्रष्ट या नीच आदमी नहीं हूँ जो सांस खींच कर बैठ जाऊं और मुझे मिली इस नोटिस का जवाब न दूं। मैं अपनी छप्पन इंच की छाती ठोककर कहता हूँ कि मैंने अपने आधार से अपने बैंक खातों, पैन कार्ड और मोबाइल नम्बरों को जुड़वाया है। और आप सभी देश वासी और मुझे यह नोटिस भेजने वाले नौजवान वकील साहब, इस बात की पुष्टि UIDAI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता लगाकर कर सकते हैं, आधार पूरी तरह से सुरक्षित और देश के हित में है।' " अपनी बात आगे कहते ही हुए मैंने कहा, "लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी नोटिस का जवाब देने की बजाय इन लोगों ने तुम्हें ही नकली वकील साबित करने की कोशिश की है।"

"इन लोगों की यह हरकत वास्तव में बेहद ओछी और निंदनीय है लेकिन फिर भी मैं बिलकुल नहीं चाहूंगा कि अब इस आधार मामले में मुझे अपनी तरफ से कुछ करना पड़े। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे हस्तक्षेप किये बिना ही यह आधार मामला शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो जाए और आधार के नाम पर किया जाने वाला हम लोगों का यह मानसिक उत्पीड़न बंद हो जाए।" मेरे भाई ने कहा।

5 मार्च 2018, सुबह जैसे ही मेरी मां ने हमारे गेट को खोला तो पाया कि हमारे गेट पर एक कुत्ते की खाल उधड़ी हुयी लाश पड़ी हुयी थी। उस कुत्ते की लाश को देखकर एक क्षण के लिए मेरी माँ, मेरा और मेरे भाई का

माथा ठनका। मुहल्ले में और आस-पास के लोगों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिससे हम लोगों की कोई रंजिश रही हो।

पहले मेरे भाई को फर्जी सर्टिफिकेट और नकली आई कार्ड का भेजा जाना और अब इस तरह से खाल उधेड़ कर कुत्ते की लाश को हमारे घर के दरवाजे पर फेंका जाना, ये दोनों बातें साफ़ दिखाती थीं कि मेरे भाई की भेजी हुयी नोटिस से नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को हुयी खिसियाहट अब काफी बुरी तरह से बढ़ गयी थी और जो हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं थी, अब वह समय आ गया था जब हम चुप्पी साधे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी उस दिन हम लोगों ने इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा।

इस घटना के बीतने के तीन-चार दिन बाद, जब मैं अपने भाई के साथ शाम के समय छत पर टहल रहा था, तो मैंने अपने भाई से चिंतित स्वर में कहा, "तुम्हारी नोटिस के भेजे जाने के बाद से जिस प्रकार से घटनाएँ घटित हुयी हैं वह तुमसे छिपी नहीं हैं। और अभी भी जिस प्रकार से मोबाइल पर आधार से बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों को जुड़वाये जाने के लिए लगातार संदेशों का भेजे जा रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जान पड़ता है कि आधार को बैंक खाते और मोबाइल नम्बर से जुड़वाने की तारीख आगे बढ़ाने की वजह अंदरूनी सांठ-गांठ कर तुमसे निपटने की तैयारी करना है। तुम समझ रहे हो न कि स्थिति कितनी विकट है।"

"हाँ भाई मैं समझता हूँ और मैं यह भी देख रहा हूँ कि मामले की गंभीरता को देखने के बावजूद कोर्ट कैसे सांस खींच कर बैठी है, ऐसी स्थिति में मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है कि मैं अपनी नोटिस को सार्वजनिक कर दूं और देश की जनता को यह बता दूं कि मैं ही वह

वकील हूँ, जिसने कि नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में लीगल नोटिस भेजी है और यह मेरी ही नोटिस का परिणाम है कि आधार को बैंक के खातों और मोबाइल से जुड़वाने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 कर दिया गया है। भाई, मैं इन लोगों को दुबारा नोटिस तो भेज नहीं सकता हूँ लेकिन सोशल मीडिया के जरिये मैं इन लोगों से यह बात जरूर पूछ सकता हूँ कि मेरी नोटिस का इन लोगों ने कितना संज्ञान लिया है। अब ये लोग तारीख को आगे बढ़वाकर या सांस खींचकर मामले को दबा नहीं पायेंगे। अभी तक मेरी नोटिस की जानकारी आधिकारिक तौर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, उर्जित पटेल और मुझे ही थी लेकिन अब ये जानकारी पूरे देश और दुनिया को पता चलेगी, फिर देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं तुम चिंतित न हो सही अवसर आते ही मैं नोटिस को सार्वजनिक कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा।" मेरे भाई ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा।

इसके बाद 12 मार्च 2018 दोपहर के खाने के बाद मेरे भाई ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिये नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल से अपनी नोटिस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा कि उसे अपनी 06.12.17 की लीगल नोटिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और यह कि क्या आपने अपने आधार नंबर को अपने पैन कार्ड, बैंक खाते और मोबाइल नम्बर से जुड़वा लिया है? इसके साथ ही अपनी इस फेसबुक पोस्ट में मेरे भाई ने नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को भेजी हुयी अपनी लीगल नोटिस की प्रति भी संलग्न कर दी (देखें Aditya Srivastava facebook page:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000860963284)

अगले दिन यानि 13 मार्च 2018 को सुबह के अख़बार में जब मैंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को फ्रांस के राष्ट्रपति मक्रोनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ के साथ देखा तो मैंने अपने भाई से कहा, "भाई इधर आओ और देखो इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखने से साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल से अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिये तुमने जो सवाल पूछा है वह इन लोगों तक पहुँच गया है, और यहां नरेंद्र मोदी का चेहरा साफ़ बता रहा है कि राष्ट्रपति मक्रोनी ने भी उससे वही सवाल उठाया है जो तुमने कल अपनी फेसबुक पोस्ट में पूछा था।"

"नरेंद्र मोदी का यह चेहरा बता रहा है कि इस बात की काफी संभावना है कि आने वाले दिन हमारे लिए काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं।"

मेरे भाई का यह सोचना गलत नहीं था क्योंकि उसी दिन यानि13 मार्च 2018 को अचानक ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मीडिया में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में अंतिम फैसले के आने तक आधार पर रोक लगा दी है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अचानक ही आया था उससे साफ़ जाहिर हो गया था कि माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था, और खबर के लहजे से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस मजबूरी में सुनाया था क्योंकि इस नोटिस के सार्वजनिक किये जाने से नरेंद्र मोदी और उसके साथी मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल लपेटे में आ गये थे, इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए आधार पर अंतिम फैसले के आने तक इस पर रोक लगाना ही मुनासिब होगा। इसके साथ ही हमारे पूरे मुहल्ले का माहौल भी काफी तनावपूर्ण दिखाई देने लगा था, अचानक ही हमारे हर पड़ोसी के घर पर 'ऊँ' का केसरिया झंडा फहराता हुआ दिखाई देने लगा, वह मुहल्ला जो अपना था अचानक ही गैर दिखाई

देने लगा, हमारा हर पड़ोसी हमें गुस्से से घूरता दिखाई देने लगा हालांकि अपने पड़ोसियों की इस नाराजगी की वजह हम नहीं समझ पाए थे, क्योंकि मेरे भाई और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होते सिवाय इसके कि उसने अपनी उस नोटिस को सार्वजनिक किया था जिसे उसने नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को उनकी वैयक्तिक हैसियत में भेजा था, इसी बीच हमारी इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गयी, अख़बार में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में और फेक न्यूज जैसी बातों को लेकर जिस तरह से खबरें आने लगी थीं वह साफ़ दिखाई थीं कि तनाव अपने चरम पर है।

इन सारी घटनाओं को देखकर मेरे भाई और मुझे लगने लगा कि बहुत संभव है कि आधार काण्ड में जिस तरह से उसने खुलासा किया था उसकी कीमत हमें अपनी जिंदगियों से न चुकानी पड़े। इसलिए मेरे भाई ने कहा, “भाई, केवल नोटिस के सार्वजनिक करने से बात नहीं बनने वाली है अब मुझे इस आधार और इसके पीछे की तमाम सच्चाइयों को पूरे विश्लेषण के साथ लोगों के सामने लाते हुए अपनी बात कहनी होगी ताकि लोगों को पता तो चले कि इस आधार के जरिये किया क्या जा रहा है और इसके बाद यदि हमारे साथ कोई हादसा होता भी है तो मेरे द्वारा की गयी कोशिश नाकाम न होने पाए।”

“तो अब तुम क्या करोगे?” मैंने कहा।

“भाई, इस समय हमारी इंटरनेट सेवायें बाधित हैं, ऐसे में मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं जो बात सबके सामने रखना चाहता हूँ उसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूं, और किसी तरह उसे इंटरनेट सेवा के बहाल होते ही सार्वजनिक कर दूं। फिलहाल अभी के लिए तुम इतना करो कि

कैसे भी करके 200 रूपये का डाटा रिचार्ज मेरे मोबाइल में भरा लो। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो।"

इस तनाव पूर्ण माहौल के बीच ही, मुझे बैंकिंग लोकपाल की तरफ से एक पत्र आया, यह उस शिकायत के जवाब में आया था जो मैंने 01.07.2017 के अपने पत्र के जरिये बैंकिंग लोकपाल से की थी, इस जवाब के जरिये मुझे बताया गया कि मेरी शिकायत बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत नहीं आने की वजह से निरस्त कर दी गयी है।

बैंकिंग लोकपाल की तरफ से आये इस जवाब की प्रतिक्रिया, अपने पत्र के जरिये बैंकिंग लोकपाल को भेजते हुए मैं कहा, "कोई भी सरकारी संस्था, संविधान अथवा संबंधित अधिनियम के अधीन गठित एवं संचालित होती है न कि किसी योजना के अधीन। यही बात किसी भी सरकारी संस्था में की जाने वाली कार्यवाही पर भी लागू होती है। कोई भी योजना संविधान अथवा संबंधित अधिनियम से ऊपर नहीं होती है।"

21 मार्च 2018 को इंटरनेट सेवा के फिर से सामान्य होते ही स्थिति की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई ने अपने रिकॉर्ड किये गये वीडियो-संदेश[7] —जिसमें उसने यह स्पष्ट किया कि आधार को बैंक खातों से जुड़वाने की तारीख को क्यों आगे बढ़ाया गया था, साथ ही भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ते हुए उसने पूरे विश्लेषण के साथ आधार और इसके पीछे की तमाम सच्चाइयों और हाल में ही उसे भेजे गये फर्जी सर्टिफिकेट, आई कार्ड और हमारे घर के सामने फेंके गये उधेड़े हुए कुत्ते की लाश के बारे का जिक्र करते हुए सारी बातों को कहा था— को देश के राष्ट्रपति, देश के सभी मुख्यमंत्रियों, तीनों सेनाओं, न्यायपालिका, सभी

[7] देखें लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=OQyGQRZXE_c

प्रमुख समाचार पत्रों, समाचार चैनलों, प्रमुख नेताओं और देश की जनता को हैशटैग करते हुए अपनी फेसबुक-पोस्ट के जरिये प्रसारित कर दिया, इस वीडियो में मेरे भाई ने हर एक बात को उतने स्पष्ट शब्दों में कहा था जितना कि उन्हें कहा जा सकता था इसके साथ ही गैरहिंदी भाषी लोगों के लिए उसने अपनी सारी बात को इंग्लिश भाषा में लिख दिया था। मेरे भाई ने अपनी फेसबुक-पोस्ट में अपने वीडियो के साथ उस नोटिस को भी दिया था जो उसने नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को भेजी थी।

मेरे भाई ने अपने इस वीडियो को देश के समक्ष रखते हुए अपनी फेसबुक पोस्ट में यह प्रश्न भी पूछा कि: क्या भारतीय संविधान का उल्लंघन और अवमानना करने वाले व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार है? क्या संविधान में प्रदत्त नागरिकों के अधिकारों को महज एक पहचान-पत्र के आधार पर हथियाया जा सकता है[8]?

मेरे भाई ने इस वीडियो-संदेश द्वारा जिस प्रकार से आधार और बाकी सभी बातों का खुलासा किया था, उसके बाद जिस प्रकार का सन्नाटा देश में खींचा गया, और जिस प्रकार की राजनीतिक चुप्पी देश के सभी राजनेताओं द्वारा साधी गयी और मीडिया बिलकुल से खामोश हो गया उसकी वजह क्या हो सकती है यह बात तो उनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। किन्तु यदि सिर्फ यह प्रश्न उठा दिया जाता कि क्या नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल ने अपने आधार को अपने पैन कार्ड, बैंक खातों और मोबाइलों से जुड़वाया है या नहीं, तो प्रथमदृष्टया ही साबित हो चुके इन लोगों के संवैधानिक कदाचार के लिए इन लोगों को अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ता परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

---

[8] देखें लिंक: Aditya Srivastava facebook page:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000860963284

इस दौरान भी हमारे घर के सामने से दिन भर बहुत ही चौड़ी गाड़ियों का आना-जाना जारी रहा और पूरी रात ट्रैक्टर गुजरते रहे जिनके शोर से हमारी रातों की नींद में काफी खलल पड़ता लेकिन न ही हम कुछ कह सकते थे और न ही कुछ कर सकते थे। हम चुपचाप सतर्कता के साथ इस तनाव भरे माहौल के बीतने का इन्तजार करते रहे और फिर धीरे-धीरे समय आगे सरक गया और मार्च के बाद अप्रैल का महीना आ गया।

5 अप्रैल 2018 को मेरी मां ने मुझसे कहा, “बेटा भूल मत जाना और आज ही बैंक में जाकर अपना और हम लोगों का फॉर्म 15 G और 15 H जमा कर देना, यह काम सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) में पैसे काट लिए जाते हैं और फिर तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर चक्कर काटना पड़ेगा, पिछले साल की घटना याद है न तुम्हें।”

“माँ आप चिंता न करें, इस बार कोई भूल-चूक नहीं होगी और मैं आज ही फॉर्म 15 G और 15H जमा कर दूंगा।” मैंने कहा।

इस समय आप सोच रहे होंगे यह कैसा लेखक, प्रकाशक और वकील है जिसकी कुल सालाना आय ढाई लाख रूपये से ज्यादा नहीं है जो वह बैंक में जमा किये गये फिक्स डिपाजिट पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) न कटे इसलिए फॉर्म 15 G और 15H जमा कर रहा है, तो इस बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं ज्यादातर सेल्फ पब्लिश्ड लेखक और ईमानदार वकील की कोई ख़ास आमदनी नहीं होती है और वह अपनी बचत के पैसों से ही अपना खर्च चलाते हैं। कोई हाई प्रोफाइल लेखक जो अपनी किताब बेचता है और कहता है कि उसकी वह किताब बेस्ट सेलर है और उसने उस किताब की लाखों प्रतियाँ बेचकर करोड़ों रूपये कमाए हैं, तो

वह झूठ बोलता है सच्चाई यह है कि या तो वह पहले से ही अमीर होता है या फिर किसी अन्य गुप्त तरीके से पहले वह अमीर बनता है बाद में अपनी अमीरी का राज यह बताता है कि एक किताब लिखकर उसने यह नाम, शौहरत और दौलत कमाई है।

खैर, 5 अप्रैल 2018 की दोपहर को जब मैंने बैंक, जहाँ पर मैंने, मेरी मां और मेरे भाई ने फिक्स डिपाजिट में पैसे जमा किये थे, जाकर वहां कार्यरत बैंककर्मी को मेरा, मेरे भाई और मेरी मां का फॉर्म 15 G और 15H जमा करने के लिए दिया; तो बैंक कर्मी ने हम लोगों के फॉर्मों पर आधी-अधूरी कागजी कार्यवाही करने के बाद मुझसे कहा कि, "आपका बैंक अकाउंट आधार से न जुड़ा होने के कारण हम आपके इन फॉर्मों 15 G और 15H की कम्प्यूटर पर आवश्यक एंट्री नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपने आधार को बैंक खाते से लिंक कराएँ उसके बाद ही आपके ये फॉर्म 15 G और 15H जमा हो पाएंगे।"

बैंक कर्मी की यह बात सुनकर मैंने उससे कहा, "सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने अपने और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के पैनकार्ड को आधार से जुड़वा दिया है; और यह कि 13 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में आदेश देकर अंतिम फैसले के आने तक आधार पर रोक लगा दी है। और केंद्र की तरफ से यह हलफनामा भी दाखिल किया गया है कि (आधार) मामले के अन्तिम निस्तारण तक वह इन्तजार करने को तैयार है।"

इस पर बैंककर्मी ने मुझसे कहा, "कोर्ट की बातें कोर्ट ही जाने, केंद्र ने क्या कहा है और कोर्ट ने क्या सुना है इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ फिलहाल यहाँ कम्प्यूटर सिस्टम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साईट

आपके फॉर्म को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आप अपने आधार नम्बर को बैंक खाते से नहीं जोड़ेंगे?"

"परन्तु आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर रोक लगाये जाने के बाद वाद के लंबित रहने के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्रकार से जबरदस्ती आधार को बैंक अकाउंट से जुड़वाने के लिए नहीं कह सकता है। यह पूरी तरह से गलत है।" मैंने कहा।

"हम सरकार के नौकर हैं और सही-गलत पर अपनी राय नहीं दे सकते हैं, हमें जो कहा जाएगा हम करेंगे बाकी यदि आप चाहें तो बैंक मैनेजर से बात कर लें इस बारे में शायद वह आपकी कुछ मदद कर पायें?"

यह कहकर उस बैंककर्मी ने मुझे बैंक मैनेजर के पास भेज दिया, मैंने अपनी सारी बात बैंक मैनेजर से कही तो उसने मुझसे कहा, "देखिये अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो आपको आधार से बैंक अकाउंट को जोड़ने में क्या दिक्कत है?'

बैंक मैनेजर की बात सुनकर मैंने कहा: "सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही कहा है कि पैन को आधार से जुड़वाना अनिवार्य है इसलिए मैंने अपना और अपने परिवार के बाकी लोगों का पैन आधार से जुड़वा दिया है, और रही बात आधार को बैंक खाते से जुड़वाने की तो 13 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में आदेश देकर अंतिम फैसले के आने तक आधार पर रोक लगा दी है और कहा है कि मामले के लम्बित रहने तक 'status quo' को बनाये रखा जायेगा और सभी बैंकिंग और मोबाइल सेवायें अबाधित रूप से चलती रहेंगी। इसलिए मेरे फॉर्म 15 G और 15H को जमा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।"

मेरी बात सुनकर बैंक की मैनेजर ने कहा, "देखिये, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश से काम करने के लिए बाध्य हैं, हम अपनी स्वेच्छा से आपको आधार जुड़वाने के लिए नहीं कह रहे हैं आइये, आप खुद ही देख लीजिये उनकी साईट पर आपका फॉर्म 15 G और H तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप अपने आधार नम्बर को बैंक से नहीं जोड़ेंगे।"

"रहने दीजिये इसकी जरूरत नहीं है।" मैंने कहा।

इसके बाद बैंक मैनेजर ने मुझे मेरे फॉर्म 15 G और 15 H लौटा दिये। मैं उदास मन से अपना, अपनी मां और अपने भाई के फॉर्म 15 G और 15 H को लेकर घर लौट आया।

घर आकर मैंने पूरा माजरा अपनी माँ और भाई को बताया। वस्तुस्थिति से परिचित होने के बाद मेरे भाई ने कहा, "भाई, यदि हम अपने आधार को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ेंगे तो बैंक वाले हम लोगों का फॉर्म 15 G और H जमा नहीं करेंगे, अभी पिछले साल ही फॉर्म 15 G और 15 H के जमा किये जाने में देरी होने से हमारी मां के बैंक खाते से TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कट गया था, और इस साल जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही फॉर्म 15 G और 15H एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारे अकाउंट से पैसे कट जायेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये जबरदस्ती आधार को बैंक खाते से जुड़वाने की यह कोशिश दिखाती है कि पद और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी संस्थाओं का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया जाता है कि (आधार) मामले के अन्तिम निस्तारण तक वह इन्तजार करने को तैयार है और वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साईट पर फॉर्म 15 G और H को एक्सेप्ट करने से

इसलिए मना किया जा रहा है कि बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे तो कोर्ट में मामले का चलना ही बेमाने हो जाता है, खैर इस समस्या से निपटने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है।"

"कौन सा उपाय?" मैंने कहा।

"भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये आधार को बैंक खातों से जुड़वाने का यह काम चोरी-छिपे ढंग से किया जा रहा है आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि वह जबरदस्ती गैरकानूनी तरीके से हमारे बैंक खातों को आधार से जुड़वाये। इसलिए हम ऐसा क्यों न करें कि बैंक मैनेजर को अपने फॉर्म 15 G और 15H को इस पत्र के साथ रजिस्टर्ड डाक से भेज दें कि वह हमारे फॉर्म 15 G और H स्वीकार कर ले और यदि फ़ार्म की स्वीकृति में कोई अड़चन होती है तो वह हमारे पत्र को हमारे फार्म के साथ सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर दे। इस प्रकार हम बैंक में अपना फॉर्म 15 G और 15H जमा करने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।"

"वाह, तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। मैं कल ही रजिस्टर्ड डाक से हम लोगों के फॉर्म 15 G और 15H को इस पत्र के साथ बैंक मैनेजर को भेज देता हूँ कि यदि हमारे फॉर्म को स्वीकार करने में कोई दिक्कत आती है तो वह हमारे फॉर्म 15 G और 15H और हमारे पत्र को सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित कर दे।" मैंने कहा।

इसके बाद, 6 अप्रैल 2018 को रजिस्टर्ड डाक के जरिये मैंने अपना, अपनी मां और अपने भाई का फॉर्म 15 G और 15H, बैंक मैनेजर को संबोधित हमारे पत्रों के साथ बैंक में भेज दिया।

घर आकर मैंने राहत की सांस ली और अपने भाई से कहा, "चलो भाई, आधार नाम की इस मुसीबत से कम से कम एक साल के लिए तो छुटकारा मिला।"

अगले दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा, "भाई, गुपचुप तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये न जाने और भी कितने लोगों को इसी प्रकार से अपने बैंक खातों को आधार से जुड़वाने के लिए इस समय विवश किया जा रहा होगा, जैसे कि हमें किया गया है।"

"हाँ तो, तुम कहना क्या चाहते हो?" मैंने कहा।

"बस इतना ही कि यदि तुम कहो तो हम अपने फेसबुक पेज 'इंडियन लॉज इन हिंदी' में लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्रारूप दे दें?"

"बहुत ही बढ़िया विचार है, इस नेक काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए हम अपने फेसबुक पेज 'इंडियन लॉज इन हिंदी' में लोगों को आधार की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्रारूप[9] जरूर देंगे।

फिर हम लोगों ने 7 अप्रैल 2017 को अपने 'इंडियन लॉज इन हिंदी' के फेसबुक पेज पर निम्न बात कहते हुए प्रारूप को दिया:

"हमारी टीम की जानकारी में आया कि कई जागरूक #भारतीय हैं और जिन्होंने #आधार_कार्ड की असुरक्षितता को देखते हुए अपने बैंक खातों को आधार से नहीं जुड़वाया है। लेकिन कई बैंक, माननीय #सुप्रीम_कोर्ट

[9] देखें लिंक:
https://www.facebook.com/indianlawsinhindi/posts/1248400488625115?__tn__=C-R

के आदेश की अवहेलना करते हुए लोगों के Form 15-G (और यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो Form 15-H) लेने से इनकार कर रहे हैं और इसकी वजह #सरकार का आदेश बता रहे हैं।

यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो, आप अपने बैंक के शाखा प्रबंधक को Form 15-G अथवा 15-H registered post द्वारा अपने FD Receipt और PAN कार्ड की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि और निम्न प्रारूप में लिखे गए पत्र के साथ भेजें।

प्रारूप का लिंक:

https://www.facebook.com/indianlawsinhindi/posts/1248400488625115?__tn__=C-R

पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि, रजिस्टर्ड डाक की रसीद के साथ अपने पास सुरक्षित रखें।

--भारत के नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए Indian Laws in Hindi टीम द्वारा जनहित में जारी।"

मई 2018 में एक बार फिर से मुझे बैंकिंग लोकपाल का जवाब आया, इस बार बैंकिंग लोकपाल की तरफ से मुझे यह जवाब भेजा गया था कि मेरी शिकायत को इसलिए निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसकी विषयवस्तु स्पष्ट नहीं है इसके साथ ही मुझे बैंकिंग लोकपाल योजना[10] की प्रति भी भेजी गयी थी।

[10] बैंकिंग लोकपाल योजना की प्रति के लिए किताब के अंत में दिया गया संलग्नक 2 देखें

इस पर मैंने बैंकिंग लोकपाल को यह जवाब भेजा कि मेरे पत्र 01/07/2017 से स्पष्ट है कि मेरी शिकायत शाखा प्रबन्धक के अभद्र व्यवहार और मेरे चेक के नगद भुगतान करने से इंकार करने के संबंध में है, जो कि बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करने के आधार का बिंदु 1 (i) है। जिसके लिए मैंने शाखा प्रबन्धक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिए कहा था और अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में मैंने यह मांग की थी कि वह मुझे शाखा प्रबन्धक की लिखित माफ़ी भिजवाएं कि दिनांक 30/06/2017 को मेरे साथ किये गये अभद्र व्यवहार के लिए वह शर्मिंदा हैं और भविष्य में वे ऐसे कृत्य को नहीं दोहराएंगे।

जून, जुलाई और अगस्त के महीने भी दिन में चौड़ी गाड़ियों के शोर और रात में ट्रैक्टरों के आने-जाने वाले शोर के साथ बीत गये किन्तु इस बार मुझे बैंकिंग लोकपाल की तरफ से किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला। फिर 26. 09.2018 को वह दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में अपने निर्णय को सुनाया, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध घोषित किया परन्तु मोबाइल फोन और बैंक खातों से इसके जुड़वाये जाने की बात को पूरी तरह से नकार दिया तथा इसे सामाजिक कल्याण की योजनाओं और सरकारी सब्सिडी तक ही सीमित करने की बात कही। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि *आधार का पैन से जुड़वाना जरूरी* है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यह अनिवार्य है।

कोर्ट के इस निर्णय को अख़बार में पढ़ने के बाद मैंने अपने भाई से कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय तुम्हारी नोटिस के सार्वजनिक किये जाने और तुम्हारे वीडियो संदेश का ही परिणाम है, हालांकि कोर्ट ने आधार को मोबाइल फोन और बैंक खातों से जुड़वाये जाने की बात को पूरी तरह से नकारा है तथा इसे सामाजिक कल्याण की योजनाओं और सरकारी

सब्सिडी तक ही सीमित करने की बात को कहा है। लेकिन मेरी निजी राय में यह निर्णय एक खानापूर्ति करने वाला और दबाव में मजबूरन दिया गया निर्णय है जिसका बड़ी आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। न्यायालय को चाहिए था कि वह आधार को पूरी तरह से अवैध घोषित कर खत्म करे, आधार शुरू से ही एक छल है जिसे इस देश की जनता के साथ किया गया है, क्योंकि यह स्वयं घोषित करता है कि यह पहचानप्रमाण है न कि नागरिकता का, जब यह किसी भारतीय को उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे सकता है तो यह भला वैध कैसे हो सकता है; और जिस तरह से इसे भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य करने के लिए सरकारी दबाव बनाया गया था और इसका यह दावा कि आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा, उसे देखकर तो स्पष्ट है कि इससे मिलने वाली सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का असली लाभ तो विजय माल्या[11] और नीरव मोदी[12] जैसे लोगों को मिलेगा क्योंकि ये भारतीय नागरिक तो हैं नहीं जिस वजह से इन लोगों को अपने बैंकों खातों और मोबाइल नम्बरों को आधार से जोड़ने के लिए बाध्य किया जा सके, इसलिए ये लोग अपना आधार कार्ड बनवा कर बड़ी आसानी से आधार द्वारा मिलने वाली सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। और साथ ये उस खतरे से भी मुक्त हैं जिससे आम भारतीय नागरिक जूझ रहा है, मेरे कहने का मतलब है आधार से बैंक खाते के जुड़े होने की स्थिति में बैंक खातों से पैसे चोरी होने का खतरा, क्योंकि ये भारतीय नहीं हैं इसलिए इन लोगों पर यह बाध्यता नहीं है कि वे अपने बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों को आधार से जुड़वायें।

---

[11] विजय-माल्या—यहाँ 'विजय-माल्या संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रूपये लेकर लन्दन भाग गया।

[12] नीरव-मोदी—यहाँ 'नीरव-मोदी' संबोधन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारतीय बैंकों के 14500 करोड़ रूपये लेकर भारत से फरार हो गया।

“न्यायालय द्वारा आधार मामले में दिया गया यह खानापूर्ति करने वाला निर्णय भविष्य में देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता है। क्योंकि कोर्ट ने इसे वैध कहा है इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में अवैध तरीके से इसे बैंकों और मोबाइल कम्पनियों के माध्यम से फिर से लोगों को अपने खातों को जुड़वाने के लिए विवश किया जाए। और यदि ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

“मुझे ऐसा लगता है कि यह फैसला देशवासियों के हितों का ध्यान कम और नरेन्द्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल के हितों का ध्यान ज्यादा रखते हुए दिया गया है। क्योंकि यदि इस मामले में कोर्ट यह फैसला सुनाती कि बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों को आधार से जुड़वाना जरूरी है तो उस स्थिति में नरेन्द्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को तुम इस बात के लिए विवश कर सकते थे कि वे इस बात को सार्वजनिक करें कि भारत के नागरिक होने की वजह से उन लोगों ने अपने बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों, और पैन नम्बरों को आधार से जुड़वाया है या नहीं। सच्चाई यह है कि आज यदि यह देश बच पाया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, भले ही कोई तुम्हारी इस उपलब्धि को माने या न माने मैं मानता हूँ कि अकेले तुमने ही देश की 133 करोड़ की जनता को आधार के इस अब तक के सबसे बड़े घोटाले और संकट से बचाया है। अगर आधार की यह साजिश कामयाब हो जाती तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था।”

“भाई तारीफी करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी हीरो बनने की चाहत नहीं रखता हूँ, इसलिए तो नोटबंदी के समय में मैंने गुमनाम शख्स के रूप में 13 नवम्बर 2016 को अपना वीडियो निकाला था ताकि मेरी बात प्रबुद्ध जनों, नेताओं और देश के वकीलों तक पहुँच जाए और वे देश में

हुयी नोटबंदी को रोक सकें, लेकिन तुमने खुद भी देखा है कि सभी लोगों ने मेरी बात को हंसी-मजाक में उड़ा दिया यही नहीं तुमने भी तो 14 नवम्बर 2016 की अपनी फेसबुक पोस्ट से राज्य सरकारों को वह तरीका सुझाया था जिससे वे लोग एक जुट होकर नरेंद्र मोदी को घेर लेते और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को असंवैधानिक तरीके से देश में नोटबंदी करने के लिए त्यागपत्र देने पर मजबूर कर देते। उस समय भी मैं चाहता तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली और उर्जित पटेल को वैयक्तिक रूप से दायी बनाकर नोटिस भेजकर नोटबंदी वापस लेने के लिए कह सकता था लेकिन अपने देश के जनप्रतिनिधियों पर यह विश्वास करते हुए कि वे इस समस्या को स्वयं आसानी से हल कर सकते हैं मैं चुप हो गया था लेकिन आधार के इस प्रकरण के समय मेरे पास नोटबंदी का पिछला अनुभव था जिस वजह से मेरे पास नरेंद्र मोदी और मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को लीगल नोटिस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस बार खुद सामने आते हुए मुझे उन्हें नोटिस भेजनी पड़ी, अपनी नोटिस के बाद भी मैं कुछ न कहता और शांत रहता यदि इन लोगों ने आधार को चुपचाप खत्म कर दिया होता और मुझे फर्जी सर्टिफिकेट और आई कार्ड न भेजे होते, इसके बाद हमारे घर के सामने फेंके गये कुत्ते की उस खाल उधड़ी हुयी लाश ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गुमनाम न रहते हुए अब जनता के सामने आ जाऊं यही वजह है कि 12 मार्च 2018 को अपनी फेसबुक पोस्ट से मैंने नरेंद्र मोदी और मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल से अपनी नोटिस के बारे में प्रश्न किया था और फिर जब हालात बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गये तो मैंने 21 मार्च 2018 को आधार की सच्चाई से जुड़ा अपना वीडियो अपलोड किया था।... खैर जरूरी यह है कि देश में नोटबंदी और आधार जैसी घटनाएँ दुबारा न हों और तुम्हारी यह आशंका निराधार

साबित हो कि बैंक फिर से आधार को लोगों के खाते से जुड़वाने के लिए कहें।” मेरे भाई ने कहा।

“मैं ऐसी आशंका इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब इसी साल मार्च के महीने में बैंक ने हम लोगों के फॉर्म 15 G और 15 H को जमा करने में यह वजह देते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे फॉर्म 15 G और 15 H को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा गया था। हालांकि उस समय भी केंद्र की तरफ से कोर्ट में इस बात के लिए हलफनामा दाखिल किया गया था कि (आधार) मामले के अन्तिम निस्तारण तक वह इन्तजार करने को तैयार है।”

“तुम्हारी यह बात बिलकुल सही है भाई, परन्तु फिलहाल के लिए आधार की यह समस्या सुलझ गयी है, और भविष्य में ‘आधार’ यदि फिर से सिर उठाता है तो इस देश की 133 करोड़ की जनता में शामिल प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए।”

“खैर, अब शायद हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं।” मैंने कहा।

“भाई, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा!”

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मैंने सोचा कि शायद बात खत्म हो गयी है और अब सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, और हमारे घर के सामने से चौड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टरों का गुजरना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के 26.09.2018 के निर्णय के आने के बाद से चौड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टरों का हमारे घर के सामने से गुजरना बंद तो नहीं हुआ बल्कि एक और समस्या भी पैदा कर दी गयी है। और वह

यह कि हमारे घर के पर अजीब किस्म का जहरीला छिड़काव किया जाने लगा है जिसकी गंध कभी बहुत ही बदबूदार और तीखी होती है, तो कभी मीठी और उकलाहट पैदा करने वाली, इस छिड़काव का असर यह होता है कि हम लोगों की छातियों में जलन होती है, और दम घुटने सा लगता है। चूंकि यह छिड़काव उस समय होता जिस समय हम अपने घर के अंदर होते है इसलिए यह जान पाना हमारे लिए असंभव हो गया है कि इसे कौन करता है। इस छिड़काव की गंध से बचने के लिए कभी तो हम लोग टेबल फैन लगाकर घर की हवा को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो कभी हवा में पानी छिड़ककर गंध को मारने की कोशिश करते हैं। हमारा यह तरीका कुछ हद तक हमें इस गंध से बचा लेता है, हम अपने घर के अंदर मुंह पर कपड़ा बाँधकर रखते हैं ताकि वह जहरीली हवा हमें नुकसान न पहुंचाए।

26.09.2018 के निर्णय के आने के बाद से आई इन मुश्किल परिस्थितियों से हम जूझ ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 16.10.2018 को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया।

इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखे जाने पर, मुझे और मेरे परिवार जनों को यह पूरा यकीन हो गया कि आधार प्रकरण में जिस तरह से नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल को करारी मात मिली थी उसे भुलाने के लिए अब यह उन चीजों के वजूद को ही मिटा देना चाहते हैं जिसकी वजह से आज उनकी यह आधार योजना असफल हुयी थी यही वजह है कि जहाँ एक तरफ इलाहाबाद का नाम अचानक बदल कर प्रयागराज कर दिया गया वहीं हम लोगों के घर पर गुप्त रूप से जहरीला छिड़काव करवा कर हमें मारने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के किये गये इस अप्रत्यक्ष प्रहार का हम किसी से जिक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हत्या करने का वह सबसे आसान तरीका है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है। और भुक्तभोगी व्यक्ति ही केवल इस चीज को महसूस कर सकता है।

खैर, हम अब अपने ही घर में कैदी जैसी स्थिति में हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपने घर के आगे सीसी टीवी कैमरा भी लगाया है, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि घर के हर कोने पर व्यवहारिक दृष्टि से सीसी टीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता है। सीसी टीवी कैमरा लगाये जाने के बावजूद जब जहरीले छिड़काव का होना जारी रहा तो मजबूरन हम लोगों को अपने घर पर प्लास्टिक के पर्दे लगाने पड़े ताकि वह विषैली जानलेवा गंध घर में न आने पाए। हम अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल की कोशिश यही होगी कि हमारी मृत्यु स्वाभाविक लगे ताकि उन पर कोई शक न करे। भले ही यह बात मैं किसी से कह न सकूं पर मैं इसे यहाँ दर्ज तो कर ही सकता हूँ ताकि यदि कल को मेरी या मेरे परिवार जनों की मृत्यु होती है तो यह दस्तावेज यह स्पष्ट कर दे कि हमारी मौतें स्वाभाविक नहीं थीं बल्कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा और उर्जित पटेल जिम्मेदार हैं।

हमारे घर पर यह जहरीला छिड़काव होना जारी रहा तभी 11.12.2018 को अख़बार में खबर छपी कि उर्जित पटेल ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर पद से निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल के इस्तीफे की खबर पढ़कर मुझे लगता है कि शायद नोटबंदी और आधार जैसे कांडों में नरेंद्र मोदी का सहयोग करने का बोझ उनकी आत्मा अब सहन नहीं कर पा रही थी जिस वजह से उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी, और मनोज सिन्हा से अलग कर लिया था, खैर असली बात क्या है यह तो उर्जित पटेल साहब ही जानते होंगे।

इस समय जैसे-तैसे करके इस असुरक्षित माहौल में हम लोग अपने दिनों को गुजार रहे हैं, हम यह बात अच्छी तरह से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, जिनके खुद के आधार पैन कार्ड से नहीं जुड़े हैं, को यह टीस जरूर रहेगी कि वह जोर जबरदस्ती करके लोगों के बैंक खातों को आधार

से नहीं जुड़ा पाए इसलिए चाहे वे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर हो जायें वे हमसे बदला लेने की भरसक कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी खुद की सुरक्षा को देखते हुए मेरे लिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि मैं इन सारी बातों को यहाँ दर्ज कर दूं; बाकी इन सब चीजों का क्या अंजाम होगा यह तो वक्त ही बतायेगा...

***

संलग्नक 1

15 लाख की लीगल नोटिस

(Regd.)

सेवा में,

1. श्री नरेंद्र मोदी,
   प्रधानमंत्री (IN PERSON)
   प्रधानमंत्री कार्यालय, नयी दिल्ली
2. श्री मनोज सिन्हा,
   दूरसंचार एवं सूचना मंत्री (IN PERSON)
   दूरसंचार एवं सूचना कार्यालय, नयी दिल्ली
3. श्री उर्जित पटेल,
   आरबीआई गवर्नर (IN PERSON)
   आरबीआई कार्यालय, नयी दिल्ली

विषय— आधार संख्या के बैंक खातों और मोबाइल से जुड़वाने के नाम पर, मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों के मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं आदित्य श्रीवास्तव, पुत्र श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, आयु 28 वर्ष, निवासी [illegible] निम्न तथ्य आपके संज्ञान में ला रहा हूँ:

1. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस केहर की अध्यक्षता की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 24 अगस्त 2017 के **एकमत निर्णय** में कहा गया था कि "fundamental right to privacy exists under Article 21 and Part III of the Constitution of India" और इस निर्णय को अभी तक repudiate नहीं किया गया है।
2. यह कि इसके बावजूद आप स्वयं को संविधान से ऊपर मानते हुए 'भारत सरकार' शब्द की आड़ में **व्यक्ति के निजी अधिकारों** का हनन कर रहे हैं और **मानसिक उत्पीड़न** कर रहे हैं।
3. यह कि आप प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के जरिये यह संदेश भेज रहे हैं कि वह अपने बैंक खाते और मोबाइल को आधार से लिंक करवा ले अन्यथा आप उसके बैंक खातों और मोबाइल नम्बर को बंद कर देंगे।
4. यह कि जिस Adhaar Act का हवाला देते हुए भारत सरकार के नाम पर आप अपनी धमकी देते हुए मेरा और मेरे घर के प्रत्येक सदस्य का मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं, **न आप उस Adhaar Act की धारा और न ही किसी अन्य क़ानून की धारा स्पष्ट कर रहे हैं**, जिसके अंतर्गत आपको बैंक खातों और मोबाइल नम्बर को बंद करने का अधिकार प्राप्त है।

1

5. यह कि **PAN No. से आधार खाता संख्या जोड़े जाने के पश्चात सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्वतः ही मिल जाती है।** यह कि मेरा और मेरे परिवार के सभी सदस्यों का आधार खाता PAN No. से जुड़ा हुआ है। इसलिए money laundering अथवा काले धन की आड़ में जिस काम के लिए आप जनता का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ जनता का biometric data, बैंक खाते और मोबाइल नंबर विदेशी hackers और आतंकवादियों के आगे vulnerable हो रहे हैं। **इससे पूरे देश की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।**
6. यह कि अखबारों में biometric data के सार्वजनिक होने, चोरी होने और उसके बिकने की ख़बरें आये दिन छपती रहती है।
7. यह कि आप किसी भी धमकी को क़ानून की आड़ में भूतलक्षी लागू नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा मोबाइल और बैंक खातों को बंद किये जाने की धमकी दिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि यह कोई लाभप्रद कानून नहीं है जिसे आप भूतलक्षी लागू करें। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का मानसिक उत्पीड़न करना और उनके निजता समेत सारे अधिकारों का हनन करना है।
8. यह कि क्या आप ने खुद निजी तौर पर अपने PAN No., बैंक खातों को और मोबाइल नंबर को आधार से जुड़वाया है?

आपको इस नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है, कि आप मोबाइल द्वारा यह धमकी भिजवाना बंद करें कि बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार जुड़वाना अनिवार्य है। और संचार माध्यमों द्वारा यह प्रकाशित करें कि आधार संख्या के PAN No. से जुड़े होने की स्थिति में, आधार संख्या का बैंक खातों और मोबाइल नंबर से जुड़वाना अनिवार्य नहीं है और आधार संख्या से जुड़वाये बगैर भी बैंक सेवायें और मोबाइल सेवायें अबाधित रूप से चलती रहेंगी।

मामले की त्वरितता को देखते हुए नोटिस प्राप्ति के तुरंत बाद मोबाइल के SMS द्वारा मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का मानसिक उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता है और पन्द्रह दिनों के भीतर मुझे इस नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, तो मुझे आपके विरुद्ध **वैयक्तिक** वाद लाने के लिए विवश होना पड़ेगा। उस स्थिति में इस नोटिस की फीस **पन्द्रह लाख रुपये** [15,00,000/-], और वाद की फीस **एक सौ तैंतीस करोड़ रुपये** [1,33,00,00,000/-] का भुगतान करने की वैयक्तिक रूप से जिम्मेदारी आपकी होगी।

दिनांक-06/12/2017

Aditya Srivastava

आदित्य श्रीवास्तव
अधिवक्ता उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

2

RL TSL NAINI <211010>
RL A RU010903760IN
Counter No:1.OP-Code:OP
To:MANOJ SINHA,SANCHAR MANTRI
New Delhi G.P.O., PIN:110001
From:AADITYA SRIVASTAVA , ALLD
Wt:20grams.
Amt:22.00 ,07/12/2017 ,11:26
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL TSL NAINI <211010>
RL A RU010903739IN
Counter No:1.OP-Code:OP
To:URJIT PATEL,RBI GOVERNER
New Delhi G.P.O., PIN:110001
From:AADITYA SRIVASTAVA , ALLD
Wt:20grams.
Amt:22.00 ,07/12/2017 ,11:26
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL TSL NAINI <211010>
RL A RU010903708IN
Counter No:1.OP-Code:OP
To:NARENDRA MODI,PM INDIA
New Delhi G.P.O., PIN:110001
From:AADITYA SRIVASTAVA , ALLD
Wt:20grams.
Amt:22.00 ,07/12/2017 ,11:27
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

संलग्नक 2

भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग लोकपाल कार्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
(बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत गठित)

हमारा उद्देश्य

उक्त योजना का उद्देश्य बैंको द्वारा प्रदान की जाने वाली कतिपय सेवाओं से संबन्धित शिकायतों का समाधान, उनके संतोषजनक हल अथवा ऐसी शिकायतों का निपटारा करना है।

हमारा अधिकार क्षेत्र

उत्तर प्रदेश राज्य [गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली (प्रबुद्ध नगर), मुजफ्फर नगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर) जिलों को छोड़कर] के सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक।

बैंकिग लोकपाल में शिकायत किस आधार पर कर सकते हैं ?

(1) जमा संबंधी बैंकिंग सेवाएँ –

i. चेकों, ड्राफ्टों, बिलों, आवक प्रेषणों, बैंकर्स चेक आदि जारी करने/वसूली/भुगतान में असाधारण विलंब या इन्कार करना
ii. कामकाज के निर्धारित समय का पालन न किया जाना
iii. जमाराशियों पर लागू ब्याज दर के संबंध में निर्देशों का पालन न करना, जमाराशियों का भुगतान न करना, विलंब से भुगतान करना
iv. किसी वैध कारण के बिना जमा खाता खोलने/बंद करने से इंकार करना
v. ग्राहक को पर्याप्त पूर्व सूचना दिये बिना प्रभार लगाना अथवा अधिक प्रभार लगाना।

(2) एटीएम / डेबिट कार्ड और पूर्वदत्त कार्ड (Prepaid Card) मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग संबंधी सेवाएँ –

i. एटीएम/पीओएस द्वारा राशि नहीं निकलना, किन्तु खाते से नामे (Debit) हो जाना; एक ही लेनदेन के लिए एक से अधिक बार खाता नामे किया जाना, कम/अधिक राशि प्रदत्त करना
ii ऑनलाइन भुगतान/ निधि अंतरण में देरी या विफलता
iii. अनधिकृत लेनदेन (एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड आदि)

(3) क्रेडिट कार्ड संबंधी सेवाएँ –

i. जीवन भर के लिए निःशुल्क जारी किए गए कार्ड पर वार्षिक शुल्क लगाना
ii. गलत बिलिंग/गलत नामे (Debit)
iii. बीमा आदि संबंधी अवांछित कॉल,धमकी भरे कॉल/वसूली एजेन्टों द्वारा वसूली के लिए अनुचित व्यवहार
iv. साख सूचना ब्यूरो (CIBIL) को ऋण संबंधी गलत रिपोर्टिंग; सही करने में विलंब या असफल होना

(4) पेंशन संबंधी सेवाएँ तथा अन्य –

i. पेंशन संवितरण में विलंब अथवा संवितरण न करना
ii. रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुसार करों के प्रति भुगतान स्वीकार करने में विलंब अथवा इन्कार करना
iii. सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से इन्कार अथवा विलंब या सेवा प्रदान करने में असमर्थता अथवा सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब

(5) पैरा – बैंकिंग गतिविधियां, जैसे कि बीमा/म्युचुअल फंड/अन्य पक्ष के निवेश उत्पादों के संबंध में –

i. अन्य पक्ष के वित्तीय उत्पादों की अनुचित, अनुपयुक्त बिक्री; बिक्री के बाद सेवा सुविधा देने में देरी या इन्कार
ii. बिक्री में गैर पारदर्शिता/पर्याप्त पारदर्शिता की कमी

(6) ऋणों और अग्रिमों के संबंध में –

i. ब्याज दरों के संदर्भ में रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न किया जाना
ii. मंजूरी, संवितरण में विलंब अथवा ऋण आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित समय की पाबंदी का अनुपालन न होना
iii. आवेदक को बिना कोई वैध कारण बताए आवेदन पत्र स्वीकार न करना

शिकायत दायर करने की प्रक्रिया

(1) शिकायत समाधान हेतु पहले अपनी बैंक शाखा में शिकायत करें। यदि बैंक के उत्तर/ कार्यवाही से आप संतुष्ट ना हों या 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त ना हो तो आप इस कार्यालय में लिखित शिकायत स्वंय अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते है, किन्तु अधिवक्ता (वकील) के माध्यम से नहीं।

(2) शिकायत लिखित रूप में तथा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और जहां तक संभव हो हमारी website पर उपलब्ध अनुबंध 'क' में निर्धारित फार्म में होगी या परिस्थितियाँ जितनी अनुमति दें। शिकायत में निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख हो :

i. शिकायतकर्ता का नाम, पूरा पता एवं मोबाइल नंबर/फोन नंबर
ii. बैंक का कार्यालय अथवा शाखा का नाम एवं पता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो
iii. शिकायत का आधार माने जाने वाले तथ्य
iv. शिकायतकर्ता को हुई हानि का स्वरूप और सीमा तथा
v. मांगी गयी सहायता।

शिकायतकर्ता दस्तावेजों की प्रतियाँ, यदि कोई हो, जिस पर वह विश्वास करता हो, के साथ शिकायत प्रस्तुत करेगा तथा योजना के उपखंड (3) के अंतर्गत यह घोषणा करेगा कि शिकायत समर्थनीय है।

(3) बैंकिग लोकपाल को प्रस्तुत कोई भी शिकायत तभी स्वीकार होगी, जब –

(क) बैंकिग लोकपाल को शिकायत करने से पहले शिकायत कर्ता ने उस बैंक को एक लिखित अभ्यावेदन दिया हो, जिसके खिलाफ शिकायत की गयी हो और या तो बैंक ने शिकायत खारिज कर दी हो या शिकायतकर्ता को संबन्धित बैंक द्वारा, अभ्यावेदन की प्राप्ति से, एक माह की अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला हो, या बैंक द्वारा दिये गए जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो।

(ख) शिकायतकर्ता को उसके अभ्यावेदन पर बैंक का जवाब प्राप्त होने के बाद एक वर्ष के भीतर या जहां बैंक अभ्यावेदन प्रस्तुत की तारीख के बाद एक वर्ष और एक माह के भीतर जवाब प्राप्त न होने पर शिकायत दर्ज की गई हो।

(ग) शिकायत उसी विषय वस्तु पर नहीं है जिसका बैंकिग लोकपाल ने पिछली किसी कार्यवाही में निपटान कर दिया था या उस पर कार्यवाही कर दी थी, चाहे वह शिकायत उसी शिकायतकर्ता से या किसी एक के साथ या एक से अधिक शिकायतकर्ताओं के साथ या कार्यवाही के कारण के साथ जुड़े किसी एक या अधिक पक्षों से प्राप्त हुई या न प्राप्त हुई हो।

(घ) शिकायत उसी विषयवस्तु से संबन्धित नहीं है, जिसके लिए किसी भी न्यायालय, न्यायधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य मंच में लंबित है या ऐसे किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या मंच द्वारा कोई निर्णय या अधिनिर्णय दिया गया है।

(ड़) शिकायत का स्वरूप तुच्छ या तंग करने वाला न हो, और

(च) शिकायत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत ऐसे दावों के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पूर्व की गई हो।

हमारा पता –
बैंकिग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, पो. बॉ. सं. 82, कानपुर – 208 001
ई-मेल –bokanpur@rbi.org.in
टेलीफोन सं- 0512 - 2306330

कृपया सतर्क रहें

- कोई भी बैंक या RBI आपके खाते की गुप्त जानकारी फोन/ई मेल पर नहीं मांगता। कृपया अपने खाते की गुप्त जानकारी किसी को ना दें।
- क्रेडिट कार्ड/एटीएम कार्ड का नंबर/पिन/OTP/CVV कभी भी किसी से साझा ना करें। परिवार में भी नहीं।
- क्रेडिट कार्ड/एटीएम कार्ड संभालकर रखें व किसी अन्य व्यक्ति को न दें। किसी के भी सामने ATM Pin प्रयोग न करें। PIN संख्या ATM कार्ड पर न लिखें।
- ATM कार्ड खो जाने पर/ खाते से अनधिकृत निकासी होने पर तुरंत कॉल सेंटर/शाखा से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक कराएं।
- लाटरी या किसी अन्य प्रलोभन के SMS/ फोन / ई मेल के झांसे में नहीं पड़े। ध्यान रखें कि धूर्त लोग आपको ठगने के लिए सज्जन व्यक्ति बनकर ही आपके सामने आते है। कृपया धोखाधड़ी के शिकार न बनें। आज के समय में यह मानकर चलें कि मुफ्त में कोई पैसा या अकारण लाभ नहीं मिलता। इस तरह का कोई भी प्रलोभन केवल आपको ठगने के लिए होता है।